

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च 2012—फाल्गुन 26, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1,—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2012

क्र. एफ. 13-06-2010-एक-4.—(1) श्री संजय कुमार मिश्र, राज्य शिष्टाचार अधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 27 फरवरी 2012 से 6 मार्च 2012 तक, (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार मिश्र, राज्य शिष्टाचार अधिकारी, को वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार मिश्र, राज्य शिष्टाचार अधिकारी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(4) श्री संजय कुमार मिश्र, राज्य शिष्टाचार अधिकारी के अवकाश पर रहने की अवधि में श्री संजय सिंह चौहान, सत्कार अधिकारी, श्री संजय कुमार मिश्र का कार्य देखेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पंत, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 फरवरी 2012

क्र. एफ 1(ए) 191-91-ब-2-दो—(1) श्री अशोक अवस्थी, भा.पु.से. महानिरीक्षक (प्रशा.), विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 21 मई 2012 से 8 जून 2012 तक, कुल 19 दिवस के अर्जित अवकाश, दिनांक 19 एवं 20 मई 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक अवस्थी, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिरीक्षक (प्रशा.), विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक अवस्थी, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक अवस्थी, भा.पु.से., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2012

क्र. एफ 1(ए) 93-2002-ब-2-दो—(1) श्रीमती दीपिका सूरी, भा.पु.से., सेनानी 25वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल को Third Course of Phase-III Mid Career Training Programme (MCTP) में दिनांक 6 फरवरी 2012 से 16 मार्च 2012 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 19 मार्च 2012 से 30 मार्च 2012 तक आस्ट्रेलिया में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 31 मार्च 2012 से 5 अप्रैल 2012 तक, कुल 6 दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India) निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है :—

- (1) विदेश में स्वास्थ्य / चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं।
- (2) विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
- (3) विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपिका सूरी, भा.पु.से., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी 25वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती दीपिका सूरी, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीपिका सूरी, भा.पु.से., अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं।

क्र. एफ 1(ए) 110-86-ब-2-दो—(1) श्री विवेक कुमार जौहरी, भा.पु.से., अति. पुलिस महानिदेशक, पु.मु., भोपाल को

दिनांक 5 से 10 फरवरी 2012 तक, कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 11 एवं 12 फरवरी 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार जौहरी, भा.पु.से., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, पु.मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री विवेक कुमार जौहरी, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक कुमार जौहरी, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, अपर मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2012

क्र. फा. 3(बी)6-2011-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र.-24), राज्य शासन, श्री देवदत्त पुत्र श्री प्यारेलाल को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर है। उसकी जन्मतिथि 6 जुलाई, 1982 है।

क्र. फा. 3(बी)6-2011-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र.-25), राज्य शासन, सुश्री नमिता बोरासी पुत्री श्री किशोरी लाल बोरासी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर है। उसकी जन्मतिथि 11 जून, 1987 है।

क्र. फा. 3(बी)6-2011-इक्कीस-ब-(एक).—(मेरिट क्र.-27), राज्य शासन, सुश्री प्रीती जैन पुत्री श्री बाबूलाल जैन को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला खरगौन है। उसकी जन्मतिथि 4 अप्रैल, 1976 है।

क्र. फा. 3(बी)6-2011-इक्कीस-ब-(एक).—(मेरिट क्र.-30), राज्य शासन, श्री रविन्द्र कुमार शिल्पी पुत्री श्री रेबा राम शिल्पी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला रायसेन है। उसकी जन्मतिथि 8 अगस्त, 1976 है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. डी. खान, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2012

फा. क्र. 1(सी)-13-12-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की नस्ती यू.ओ. क्र. 29-12-1-10, दिनांक 28 जनवरी 2012 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय, मुख्यपीठ जबलपुर में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, (म.प्र.) भोपाल के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, (म.प्र.) भोपाल की ओर से पैरवी हेतु श्री पंकज दुबे, अधिवक्ता, जबलपुर को रुपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार) (जिसमें ब्यूरो द्वारा प्रदत्त दाण्डिक से भिन्न मामलों का पारिश्रमिक भी शामिल है) के मासिक पारिश्रमिक पर धारा 24 (8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है। इसके अलावा वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय भी पा सकेंगे। प्रत्येक माह बिल की राशि का भुगतान राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो करेगा।

उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का सूचना-पत्र देकर संविदा समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होंगे।

(नोट.—विशेष लोक अभियोजक विधि विभाग नियमावली के अन्तर्गत दाण्डिक अपील व पुनरीक्षण प्रस्तुति के पूर्व अनुमति प्राप्त की गई होना सुनिश्चित करेंगे)।

फा. क्र. 1(सी)-13-12-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की नस्ती यू.ओ. क्र. 29-12-1-10, दिनांक 28 जनवरी 2012 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, (म.प्र.) भोपाल के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, (म.प्र.) भोपाल की ओर से पैरवी हेतु श्री मनोज द्विवेदी, अधिवक्ता, इन्दौर को रुपये 18,000/- (रुपये अठारह हजार) (जिसमें ब्यूरो द्वारा प्रदत्त दाण्डिक से भिन्न मामलों का पारिश्रमिक भी शामिल है) के मासिक पारिश्रमिक पर धारा 24 (8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है। इसके अलावा वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय भी पा सकेंगे। प्रत्येक माह बिल की राशि का भुगतान राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो करेगा।

उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का सूचना-पत्र देकर संविदा समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होंगे।

(नोट.—विशेष लोक अभियोजक विधि विभाग नियमावली के अन्तर्गत दाण्डिक अपील व पुनरीक्षण प्रस्तुति के पूर्व अनुमति प्राप्त की गई होना सुनिश्चित करेंगे)।

फा. क्र. 1(सी)-13-12-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की नस्ती यू.ओ. क्र. 29-12-1-10, दिनांक 28 जनवरी 2012 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, (म.प्र.) भोपाल के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, (म.प्र.) भोपाल की ओर से पैरवी हेतु श्री जयसिंह डी सूर्यवंशी, अधिवक्ता, ग्वालियर को रुपये 18,000/- (रुपये अठारह हजार) (जिसमें ब्यूरो द्वारा प्रदत्त दाण्डिक से भिन्न मामलों का पारिश्रमिक भी शामिल है) के मासिक पारिश्रमिक पर धारा 24 (8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है। इसके अलावा वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय भी पा सकेंगे। प्रत्येक माह बिल की राशि का भुगतान राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो करेगा।

उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का सूचना-पत्र देकर संविदा समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होंगे।

(नोट.—विशेष लोक अभियोजक विधि विभाग नियमावली के अन्तर्गत दाण्डिक अपील व पुनरीक्षण प्रस्तुति के पूर्व अनुमति प्राप्त की गई होना सुनिश्चित करेंगे)।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. जे. खान, सचिव।

श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2012

क्र. एफ-1(ए)1-2012-ए-सोलह.—राज्य शासन, एतद्द्वारा संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अंतर्गत उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के नवीन कार्यालय जिला सिंगरौली एवं बीना (जिला सागर) में प्रारंभ करने के फलस्वरूप निम्नानुसार कार्यालयों का कार्यक्षेत्र पुनर्गठित करता है :—

क्र.	उप संचालक, औ. स्वा. एवं सुरक्षा कार्यालय का नाम एवं मुख्यालय	नवीन व्यवस्था के अर्न्त कार्यक्षेत्र में आने वाले जिले
(1)	(2)	(3)
1.	जबलपुर	जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिन्दवाड़ा, सिवनी
2.	सतना	सतना, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना
3.	बीना (जिला सागर)	सागर, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर
4.	सिंगरौली	सिंगरौली, रीवा, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया.

2. संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, भोपाल के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, जबलपुर, उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सतना, उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सिंगरौली, उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, बीना (जिला सागर) तथा उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, भोपाल के कार्यालय रहेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुखराज मारू, अपर मुख्य सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश
शाजापुर, दिनांक 25 फरवरी 2012

संशोधित आदेश

क्र. सामान्य-2012-87.—कार्यालयीन आदेश क्र.-सामान्य-1-2012, दिनांक 27 दिसम्बर 2011 द्वारा दिनांक 19 सितम्बर 2012 वार बुधवार (गणेश चतुर्थी) एवं दिनांक 22 अक्टूबर 2012 वार सोमवार (महाष्टमी) को सम्पूर्ण जिले के लिये स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था.

दिनांक 19 सितम्बर 2012 वार बुधवार (गणेश चतुर्थी) एवं दिनांक 22 अक्टूबर 2012 वार सोमवार (महाष्टमी) को घोषित स्थानीय अवकाश प्रशासनिक कारणों से एतद्द्वारा निरस्त किया जाकर क्रमशः दिनांक 12 मार्च 2012 वार सोमवार (रंगपंचमी) एवं दिनांक 25 अक्टूबर 2012 वार गुरुवार दशहरे का दूसरा दिन (स्थानीय अवकाश) घोषित किया जाता है.

उक्त आदेश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होगा.

सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर.

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार
कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2012

क्र. भ.स.क.मं.-2012-408.—मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार चिकित्सा सहायता योजना—2004 की कंडिका 2.6 सहपठित यथा संशोधित कंडिका 5.6 के प्रावधानानुसार मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा अनुसूची-एक में प्राधिकृत अस्पतालों की अनुसूची में

निम्नांकित अस्पताल / नर्सिंग होम्स को एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से आगामी आदेश तक जोड़ा जाता है :—

“अनुसूची-एक”

(देखें योजना की कंडिका 2.6 एवं 5.6)

प्राधिकृत अस्पताल की अनुसूची

अशासकीय अस्पताल

(1) एम. पी. विरला हॉस्पिटल एवं प्रियम्बदा विरला कैंसर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सतना.

क्र. भ.स.क.मं.-2012-409.—मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार चिकित्सा सहायता योजना—2004 की कंडिका 2.6 सहपठित यथा संशोधित कंडिका 5.6 के प्रावधानानुसार मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा अनुसूची-एक में प्राधिकृत अस्पतालों की अनुसूची में निम्नांकित अस्पताल / नर्सिंग होम्स को एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से आगामी आदेश तक, जोड़ा जाता है :—

“अनुसूची-एक”

(देखें योजना की कंडिका 2.6 एवं 5.6)

प्राधिकृत अस्पताल की अनुसूची

अशासकीय अस्पताल

(1) पराडकर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, खैरीनाका करेली रोड, 135, सिविल लाईन्स, नरसिंहपुर.

प्रभात दुबे, सचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 17 फरवरी 2012

प्र. क्र. 1-अ 82-वर्ष 2010-11-पत्र क्र. 340-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
नरसिंहपुर	गोटेगांव	डुंगरिया नं. बं. 219 प. ह. नं. 42	0.547	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, नरसिंहपुर.	डुंगरिया जलाशय डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गोटेगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 16 फरवरी 2012

क्र. 356-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने में (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
रीवा	सिरमौर	बेलवा सुरसरी सिंह	0.080	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली सिरमौर वितरक नहर में दुलहरा माइनर के अन्तर्गत आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 358-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने में (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	शाहपुर	0.150	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली सिरमौर वितरक नहर में दुलहरा माइनर के अन्तर्गत आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2)भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 3 मार्च 2012

क्र. 447-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने में (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 के अन्तर्गत (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग अर्जित क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुड़	बहेरा	0.252	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.	गुड़-मरुगंज उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2)भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 25 फरवरी 2012

क्र. क 1490-प्र. भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	कुल ख.नं. (4)	कुल रकबा (हे. में) (5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	रीछई	9	2.18	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.).	देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 7 एल. रीछई के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क 1491-प्र. भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	कुल ख.नं. (4)	कुल रकबा (हे. में) (5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	जमुनिया पंडित	1	0.23	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.).	देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 6 आर. छिंदली के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क- 1492-प्र. भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	कुल ख.नं. (4)	कुल रकबा (हे. में) (5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	बिजौरा	1	0.25	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.).	देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 7 एल. रीछई के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क-1493-प्र. भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	कुल ख.नं. (4)	कुल रकबा (हे. में) (5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	छिदली	12	1.84	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.).	देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 7 एल. रीछई के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क -1494-प्र. भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6)

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	प्राधिकृत अधिकारी	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	कुल ख.नं. (4)	कुल रकबा (हे. में) (5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	पिपरिया पाठक	9	1.17	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.).	देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 6 आर. छिंदली के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क-1495-प्र. भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	प्राधिकृत अधिकारी	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	कुल ख.नं. (4)	कुल रकबा (हे. में) (5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	जमुनिया पंडित	24	4.46	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.).	देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 5 एल. छिंदली के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क-1496-प्र. भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	प्राधिकृत अधिकारी	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	कुल ख.नं. (4)	कुल रकबा (हे. में) (5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	समनापुर	08	0.87	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.).	देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 1 आर. रायखेड़ा के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क-1497-प्र. भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		(6)	
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	डुंगरिया स्वामी	17	3.13	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 1, सागर (म.प्र.).	देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 6 आर. छिंदली के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क-1498-प्र. भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		(6)	
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	देवरी पाठक	3	0.37	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 1, सागर (म.प्र.).	देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 5 एल. छिंदली के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क-1499-प्र. भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		(6)	
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	रायखेड़ा	08	1.43	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 1, सागर (म.प्र.).	देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 1 आर. रायखेड़ा के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क-1500-प्र. भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी			सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		(6)	(7)
(1)	(2)	(3)	कुल ख.नं. (4)	कुल रकबा (हे. में) (5)		
सागर	देवरी	छिंदली	6	0.81	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.).	देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 6 आर. छिंदली के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क-1501-प्र. भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी			सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		(6)	(7)
(1)	(2)	(3)	कुल ख.नं. (4)	कुल रकबा (हे. में) (5)		
सागर	देवरी	रीछई	18	2.88	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.).	देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 8 आर. रीछई के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क-1502-प्र. भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी			सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		(6)	(7)
(1)	(2)	(3)	कुल ख.नं. (4)	कुल रकबा (हे. में) (5)		
सागर	देवरी	रायखेड़ा	15	2.57	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.).	देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 2 आर. रायखेड़ा के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क-1503-प्र. भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल कुल ख.नं. कुल रकबा (हे. में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	छिंदली	14	2.32	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.).	देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय की दायीं मुख्य नहर की माईनर नं. 5 एल. छिंदली के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

सागर, दिनांक 27 फरवरी 2012

क्र. क-1562-प्र. भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल कुल ख.नं. कुल रकबा (हे. में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	टिकरिया	38	3.21	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.).	देवरी विकासखंड के अन्तर्गत सतधारा जलाशय के टिकरिया मायनर में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क-1563-प्र. भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल कुल ख.नं. कुल रकबा (हे. में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	टूडरी	12	1.38	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.).	देवरी विकासखंड के अन्तर्गत सतधारा जलाशय के टूडरी मायनर में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क-1565-प्र. भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल कुल ख.नं. कुल रकबा (हे. में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	मड़वा	13	1.25	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.).	देवरी विकासखंड के अन्तर्गत सतधारा जलाशय के मड़वा मायनर में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 27 फरवरी 2012

प्र. क्र. 2-अ 82-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
छतरपुर	छतरपुर	बूदौर	0.732	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व छतरपुर.	मगरार तालाब की नहर में अर्जित भूमि का पूरक प्रस्ताव.	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—मगरार तालाब की नहर में अर्जित भूमि का पूरक प्रस्ताव का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, छतरपुर में किया जा सकता है.

छतरपुर, दिनांक 6 मार्च 2012

प्र. क्र. 01-अ 82-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके

द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) निजी भूमि	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	घुवारा	देवपुर पूरक	6.000	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व विजावर.	भेल्दा तालाब के बांध एवं नहर निर्माण हेतु भू-राजस्व.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—भेल्दा तालाब के बांध एवं नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनु. अधिकारी कार्यालय, राजस्व विजावर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खंडवा, दिनांक 28 फरवरी 2012

भू-अर्जन-प्र. क्र. 01-अ- 82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खंडवा	पुनासा	जलकुआं	0.72	कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना म.प्र.पा.ज.क.लि., खंडवा.	श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना 2×600 मे.वा. म. प्र. पा.ज.क. लि., खंडवा के लिये विद्युतगृह क्षेत्र हेतु की गई अधिग्रहित भूमि की सीमा से लगे कृषकों को उनकी कृषि भूमि तक पहुंचने हेतु पहुंच मार्ग के निर्माण के लिये.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल), एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना म.प्र.पा.ज.क.लि., ग्राम दोंगालिया, पोस्ट सिंधखाल, जिला खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 02-अ 82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	धारकवाड़ी	0.32	कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना म.प्र.पा.ज.कं.लि. खंडवा.	श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना 2×600 मे.वा. म. प्र. पा.ज.कं. लि. खंडवा के लिये विद्युत्गृह क्षेत्र हेतु की गई अधिग्रहित भूमि की सीमा से लगे कृषकों को उनकी कृषि भूमि तक पहुंचने हेतु पहुंच मार्ग के निर्माण के लिये.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना म.प्र.पा.ज.कं.लि., ग्राम दोंगालिया, पोस्ट सिंधखाल, जिला खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 06-अ 82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	बिजौरामाफी (पुनर्वास प्लाट)	1069.05 वर्गमीटर (कुल मकान 05) टिन शेड (04) बारंड्रीबाल 63.6 मीटर.	कार्यपालन अभियंता (सिविल) दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना म.प्र.पा.ज.कं.लि. खंडवा.	म. प्र. पा.ज.कं.लि.की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की संपूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना म.प्र.पा.ज.कं.लि., खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 28 फरवरी 2012

क्र. 410-भू-अर्जन- नहर-2012-प्र. क्र. 25-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अन्जड़	पलास्या	1.807	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर, सबमाईनर, एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर कार्यालय बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 1 मार्च 2012

क्र. 450-भू-अर्जन-2012- प्र. क्र. 26-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	सेंधवा	धनोरी	36.845	कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, बड़वानी.	कमोदवाड़ा तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
योग . . .			36.845		

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर कार्यालय बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-बड़वानी तथा अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, अनुभाग-सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 3 मार्च 2012

क्र. 462-भू-अर्जन-2012- प्र. क्र. 27-अ-82-2011-12-.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	सेंधवा	झिरीजामली योग . .	30.515 <u>30.515</u>	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, बड़वानी.	कमोदवाड़ा तालाब एवं रास्ता निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर कार्यालय बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-बड़वानी तथा अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, अनुभाग-सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 463-भू-अर्जन-2012- प्र. क्र. 28-अ-82-2011-12-.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	सेंधवा	कमोदवाड़ा योग . .	51.259 <u>51.259</u>	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, बड़वानी.	कमोदवाड़ा तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर कार्यालय बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-बड़वानी तथा अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, अनुभाग-सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 2 मार्च 2012

क्र. 758-भू-अर्जन-2010-रा.प्र.क्र. अ-82-2009.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	काजबी	1.24	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन	पनास तालाब निर्माण हेतु.
		योग . .	<u>1.24</u>	संभाग क्र. 01 झाबुआ.	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 760-भू-अर्जन-2011-रा.प्र.क्र. अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	बनी	0.22	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन	पनास तालाब निर्माण हेतु.
		योग . .	<u>0.22</u>	संभाग क्र. 01 झाबुआ.	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 3 मार्च 2012

क्र. 2-अ-82-भू.अ.अ.-2011-12-प्र.क्र. 1अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	पटेरा	संरंगपुरा, बेलखेड़ी	कुल भूमि 0.71	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग, दमोह.	संरंगपुरा जलाशय योजना के निर्माण में छूटी हुयी भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड हटा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानन्द दुबे, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 3 मार्च 2012

प्र. क्र. 19-भू.अ.-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	सुनवाहा जागीर	5.79	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़.	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम सुनवाहा जागीर की भूमि का अर्जन. भूमि का नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 20-भू.अ.-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	नयाखेरा	3.16	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़.	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम नयाखेरा की भूमि का अर्जन. भूमि का नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 3 मार्च 2012

क्र. 554-भू-अर्जन-2012-प्रकरण क्रमांक 01-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मन्दसौर	मन्दसौर	मन्दसौर	138.64 वर्गमीटर	म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. उज्जैन.	मन्दसौर प्रतापगढ़ मार्ग पर जगतपुरा पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
			कुल. 138.64 वर्गमीटर		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड मन्दसौर के यहां देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 3 मार्च 2012

क्र. भू-अर्जन-35 (अ-82) 2011-12-170.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के सामने खाना (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुक	भूमि का वर्णन		भू अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	कटहरा रैयत प.ह.नं. 36 रा.नि.मण्डल अमेरा.	17/2 6 32 16 146 22 19 165 21 23 24 25 33 35 38 268 106 108 36 114 117 120 118 119 121 271 115 116	1.29 0.46 1.31 0.80 0.32 1.88 1.86 1.49 1.31 0.60 0.04 0.60 1.71 2.09 0.64 0.03 0.26 0.25 0.10 1.84 2.24 1.12 0.65 1.17 0.53 0.74 0.64 0.87	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.	बिलगाँव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			122	0.65		बिलगाँव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना
			123	0.65		
			124	1.46		
			125	2.54		
			128	0.24		
			126	1.03		
			129	3.24		
			130	0.74		
			131	0.88		
			132	2.60		
			133	0.74		
			274	2.19		
			137	0.28		
			138	0.71		
			139	0.24		
			140	0.33		
			142	0.02		
			143	0.18		
			144	0.28		
			145/1	0.20		
			145/2	0.40		
			145/3	0.20		
			145/4	0.23		
			147	0.33		
			149	0.37		
			148	1.46		
			156/2	0.10		
			157	0.15		
			150	0.76		
			151	0.33		
			154	0.89		
			153	0.45		
			275	1.12		
			155	0.46		
			156/1	0.76		
			157	0.09		
			160/1	0.60		
			163/2	0.02		
			158	0.35		
			160/2	0.84		
			161/2	0.06		
			164/1	0.51		
			167/1	0.24		
			162	1.89		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			163/1	0.34		बिलगांव जलाशय
			164/2	0.08		मध्यम सिंचाई
			167/2	0.31		परियोजना
			169	0.02		
			170	0.22		
			267	0.42		
			272	0.80		
			276	1.01		
			266	0.11		
			योग . .	66.96		
	शासकीय भूमि		18,30,31,			
			37,107,113	17.72		
			1127,134,136			
			166,20,273			
			योग . .	89.68		

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-36 (अ-82) 2011-12-165.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन के द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	भू अर्जन प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	करौंदी	180/4	0.17	कार्यपालन यंत्री जल	बिलगाँव जलाशय मध्यम
		प.ह.नं. 35	180/1	0.17	संसाधन संभाग डिण्डौरी.	सिंचाई परियोजना.
		रा.नि.मण्डल	180/2	0.18		
		शहपुरा.	180/3	0.18		
			182	0.78		
			181	0.65		
			195	0.01		
			योग . .	2.14		
	शासकीय भूमि		183,214	2.723		
			योग . .	4.863		

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-37 (अ-82) 2011-12-167.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन के द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुक	भूमि का वर्णन		भू अर्जन प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	बिलगांव प.ह.नं. 39 रा.नि.मण्डल शहपुरा.	688 698/1 698/2 711 699 701 702 706/2 708 721 725/2 709 710 720 714 715 716 717 726 719/1 719/2 722 723 724/1 724/2 725/1 728 729/1 729/2 730	0.17 0.65 0.25 0.09 0.30 0.61 0.96 0.56 0.04 0.26 0.91 0.04 0.69 0.84 0.02 0.07 0.19 1.13 1.65 2.68 0.60 0.58 0.48 0.26 0.08 0.30 1.50 2.88 1.37 0.36	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.	बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना.
			योग . .	25.52		
		शासकीय भूमि . .	603, 700, 705, 707, 622, 691, 689, 718, 727, 731	3.78		
			योग . .	29.30		

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-38 (अ-82) 2011-12-162.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन के द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुक	भूमि का वर्णन		भू अर्जन प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	बिजौरी रैयत प.ह.नं. 36 रा.नि.मण्डल अमेरा.	2	0.96	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगाँव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना.
			5	0.30		
			8	0.28		
			6	0.48		
			7	0.29		
			16	1.32		
			19/2	0.40		
			18	0.76		
			19/1	1.20		
			20	0.52		
			21	4.32		
			24	1.30		
			25	1.06		
			26	0.47		
			27	0.05		
			28	0.79		
			29	0.29		
30	1.45					
31	0.12					
32	0.16					
33	0.22					
41	0.09					
			योग . .	<u>16.83</u>		
शासकीय भूमि			17,22,23,42	3.39		
			योग . .	<u>20.22</u>		

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-39 (अ-82) 2011-12-163.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन के द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू अर्जन प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	मोरचा रैयत ह. नं. 11 रा.नि.मण्डल, विक्रमपुर.	256 259 262 263 264 265 266 267 261	0.24 0.07 0.67 0.05 2.26 0.10 0.37 0.66 1.63	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगाँव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना.
		शासकीय भूमि	योग . . .	6.05		
			255,260,268	1.14		
			योग . . .	7.19		

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-40 (अ-82) 2011-12-164.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन के द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू अर्जन प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	मोरचा माल प. ह. नं. 11 रा.नि.मण्डल विक्रमपुर.	84	0.02	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगाँव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना.
			योग . . .	0.02		
		शासकीय भूमि	90,91,147	0.602		
			योग . . .	0.622		

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-51 (अ-82) 2011-12-169.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के सामने खाना (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन के द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुक	भूमि का वर्णन		भू-अर्जन प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	पलकी	222/2	0.07	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगाँव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना.
		प. ह. नं. 37	340	0.67		
		रा.नि.मण्डल, अमेरा	331/2	0.34		
			223	0.40		
			239	0.22		
			240	0.46		
			461	0.38		
			281	0.31		
			367	1.05		
			379	0.31		
			283	0.16		
			318	1.58		
			319	0.22		
			350	0.88		
			353	0.53		
			386	0.23		
			284	0.16		
			351	0.40		
			285	0.13		
			398	0.47		
			287	0.56		
			288	1.11		
			465	0.45		
			289	1.94		
			290	0.71		
			441	0.18		
			291	1.49		
			292	0.55		
			330/2	0.08		
			333/2	0.42		
			311	0.38		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			313	0.42		
			314	1.01		
			341	0.53		
			317	0.53		
			428	0.95		
			430	0.54		
			518	0.49		
			416	0.22		
			320	0.83		
			545	0.14		
			321	0.45		
			473/1	0.22		
			324	0.50		
			495	0.04		
			327	0.22		
			328	0.44		
			363	0.34		
			376	0.25		
			330/1	0.34		
			333/1	0.28		
			332/1	0.51		
			537	0.34		
			467	0.01		
			553	0.25		
			332/2	0.51		
			335	1.63		
			468	0.04		
			538	0.36		
			552	0.44		
			334	0.50		
			463	0.55		
			331/1	0.71		
			336	0.20		
			337	1.64		
			381	0.74		
			427	0.31		
			388	0.83		
			342	0.40		
			371	0.70		
			343	0.22		
			344	0.22		
			345	0.23		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			347	0.26		
			346	0.23		
			348	0.42		
			360	0.75		
			396	0.01		
			352	0.44		
			357/1	0.73		
			357/2	0.04		
			544	0.16		
			359	3.98		
			370	1.15		
			529	2.12		
			361	0.33		
			362	0.36		
			364	0.35		
			365	0.32		
			383/2	0.54		
			409/2	0.30		
			368	0.65		
			527	1.28		
			555	0.86		
			366	0.46		
			374	0.29		
			533	0.78		
			536	0.55		
			542	1.04		
			543	0.81		
			369	0.80		
			373	0.80		
			329	0.24		
			372	0.55		
			496	0.20		
			377	0.80		
			413	0.29		
			378	0.03		
			414	0.20		
			379	0.71		
			491	0.48		
			499	1.77		
			513	0.31		
			380	0.27		
			382	0.01		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			432	1.22		
			383/1	0.41		
			409/1	1.10		
			423	0.16		
			384	1.44		
			389	0.03		
			424	0.43		
			385	0.84		
			387	1.23		
			541	0.17		
			434	0.22		
			388	1.89		
			435	0.15		
			442	0.26		
			390/1	0.20		
			415	0.15		
			391	0.19		
			393	0.86		
			449	0.15		
			392	0.74		
			394	2.64		
			399	0.61		
			400	0.70		
			404	0.49		
			547	1.76		
			406	0.55		
			419	0.23		
			411	0.43		
			464	0.27		
			412	4.30		
			422	0.34		
			417	0.09		
			421	0.25		
			425	0.69		
			431	0.24		
			436	0.52		
			438	0.16		
			517	0.08		
			439	0.26		
			440	0.13		
			444/2	0.01		
			448	0.13		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			456	0.04		
			457	0.05		
			458	0.08		
			459	0.08		
			460	0.09		
			470	0.12		
			471	0.05		
			472	0.14		
			492	0.11		
			458	0.72		
			494	0.07		
			497	0.20		
			549	0.42		
			498	0.17		
			511	0.72		
			516	0.09		
			521	0.40		
			522	0.22		
			525	0.45		
			526	0.30		
			523	0.13		
			524	0.13		
			539	0.48		
			551	0.50		
			546	1.11		
			550	1.32		
			473/2	0.04		
			योग . .	98.59		
		शासकीय भूमि . .	293,305,316,395			
			224, 225,243,339,349,			
			355, 358, 405,410, 429,			
			462, 530, 531, 540, 554,			
			221, 286, 315, 322, 433,	22.15		
			514, 325, 528, 534, 535,			
			397, 505, 509, 510, 512			
			407, 408, 326, 418, 420,			
			426, 443, 445, 446, 447,			
			515, 519, 520.			
			योग . .	22.15		

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-52 (अ-82) 2011-12-166.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन के द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुक	भूमि का वर्णन		भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	ढोढा	20	0.20	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगाँव जलाशय मध्यम परियोजना.
		प. ह. नं. 35	201	0.49		
		रा.नि.मण्डल, शहपुरा.	256	0.79		
			458	0.68		
			21	0.57		
			22	0.27		
			23	0.20		
			246	0.12		
			24	0.71		
			172	0.07		
			289	0.32		
			26	0.21		
			27	1.06		
			28	0.02		
			244	2.41		
			29	0.73		
			257	0.40		
			94/1	1.40		
			95	0.83		
			96	0.31		
			385	1.73		
			122	0.09		
			125	0.20		
			123	0.11		
			124	0.46		
			126	0.20		
			128	0.25		
			147	0.11		
			150	0.26		
			129	0.11		
			134	0.04		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			151	0.97		
			153	0.14		
			130	0.01		
			149	0.60		
			131	0.49		
			151	0.65		
			139	0.22		
			142/2	0.39		
			157	0.84		
			143	0.23		
			144	0.46		
			146/2	0.38		
			436	2.20		
			448	0.65		
			248/6	0.51		
			148	0.68		
			152	0.10		
			154	0.26		
			155	0.46		
			159	0.39		
			161/2	0.40		
			156	0.60		
			158	0.26		
			160	1.22		
			416	0.90		
			446	0.95		
			163	0.80		
			164	0.70		
			165	0.44		
			166	0.19		
			258	0.29		
			173	0.57		
			179	1.09		
			180	1.09		
			181	0.97		
			405	0.36		
			491	0.19		
			182	1.10		
			442	1.52		
			183	0.51		
			443	1.35		
			191	0.46		
			198	0.19		
			200	0.20		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			205/2	0.12		
			207	0.08		
			230	0.17		
			231	0.20		
			482	0.40		
			483	0.68		
			232	0.53		
			233	0.30		
			235	0.56		
			237/1	2.79		
			238	1.59		
			237/2	0.28		
			239	1.45		
			240	1.97		
			245	0.76		
			247	0.84		
			248/1	0.55		
			248/2	0.51		
			248/3	0.51		
			248/5	0.51		
			250	0.24		
			358/1	0.90		
			248/4	0.51		
			252	0.75		
			254	0.76		
			255/1	0.36		
			255/2	0.26		
			255/6	0.08		
			411	3.34		
			259	0.03		
			287/1	0.23		
			288/1	0.07		
			353	0.02		
			354	1.06		
			355/1	0.37		
			355/2	0.37		
			355/3	0.35		
			355/4	0.36		
			355/5	0.36		
			356	0.85		
			367	3.02		
			358/2	0.77		
			359	0.79		
			365	0.79		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			360/1	9.36		
			360/2	0.35		
			361/1	0.29		
			361/2	0.30		
			361/3	0.30		
			362	1.25		
			363	1.27		
			413	3.99		
			364	3.78		
			366	0.33		
			373	0.41		
			370	2.32		
			374	0.39		
			381/1	0.10		
			382/1	0.35		
			375/1	0.03		
			371	0.01		
			392	4.67		
			397	0.28		
			407	0.97		
			410	0.30		
			393	0.85		
			394	1.70		
			396	2.19		
			459	0.67		
			395	0.67		
			404/1	0.14		
			406	0.75		
			408	0.69		
			414	2.25		
			415	2.50		
			418	1.02		
			419/1	0.07		
			419/2	0.40		
			419/3	0.40		
			420	1.91		
			202/1	1.20		
			421	1.62		
			422	1.70		
			423	0.80		
			425	0.44		
			424	1.37		
			426/1	0.25		
			178/1	1.67		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			426/2	0.25		
			178/2	2.01		
			178/3	1.67		
			426/3	0.25		
			427	0.80		
			429	1.20		
			478	0.28		
			430	0.41		
			439	0.41		
			431	0.40		
			432	0.42		
			475	0.33		
			433	0.06		
			438	0.41		
			434	1.88		
			435	0.76		
			468	0.20		
			437	0.85		
			476	0.78		
			469	0.92		
			440	0.23		
			461	1.89		
			463	0.60		
			466	0.60		
			479	0.30		
			445	0.40		
			456	0.06		
			480	0.72		
			481	2.22		
			470/3	0.55		
			484	0.30		
			488	0.02		
			493	0.64		
			162/1	1.10		
			162/2	1.07		
			202/2	0.40		
			428/1	0.81		
			428/2	0.81		
			470/2	1.09		
			497/2	6.68		
			470/4	0.36		
			496/2	0.16		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			497/10	0.36		
			497/6	0.18		
			470/5	0.36		
			472/4	0.73		
			473	0.13		
			496/3	0.31		
			497/5	0.11		
			497/8	0.36		
			472/5	0.78		
			496/1	0.16		
			497/4	0.21		
			497/9	0.37		
			497/1	0.16		
			497/3	0.20		
			497/7	0.33		
			205/1	0.12		
			205/3	0.21		
			375/2	0.02		
			381/2	0.10		
			382/2	0.35		
			382/3	0.35		
			382/4	0.36		
			404/2	0.14		
			404/3	0.14		
			योग . .	<u>171.94</u>		
	शासकीय भूमि . .	234, 387, 465				
		467, 494, 132,				
		192, 241, 357,				
		400, 489, 444,				
		243, 174/1, 441,				
		25, 31, 97, 127,		42.69		
		133, 177, 203,				
		242, 2499, 253,				
		260, 290, 383,				
		386, 409, 447,				
		457, 460, 462,				
		498, 236.				
		कुल योग . .	<u>214.63</u>			

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12-168.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुक	भूमि का वर्णन		भू अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	बिलगढ़ा	2	0.01	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगॉव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना.
		प. ह. नं. 35	18	0.87		
		रा.नि.मण्डल, शहपुरा	3	0.08		
			62	0.14		
			6	0.56		
			8	1.77		
			84	0.32		
			86	2.44		
			170	1.58		
			9	0.05		
			69	0.22		
			228	0.19		
			100	0.06		
			10	1.43		
			13	1.65		
			104	0.87		
			116	2.00		
			117	3.42		
			119	0.48		
			14	1.65		
			63	0.16		
			64	1.40		
			70	0.24		
			78	0.75		
			85	0.39		
			94	1.17		
			101	0.42		
			132	3.98		
			148	0.15		
			151	0.12		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			152	0.09		
			166	0.43		
			171	0.36		
			179	0.01		
			203	0.05		
			15	0.46		
			16	0.46		
			29/3	0.30		
			17	0.60		
			75	0.24		
			102	0.07		
			105	0.33		
			19	0.04		
			20	0.02		
			21	0.04		
			23	0.44		
			24	4.49		
			25	1.02		
			26	0.52		
			28	4.05		
			27	1.27		
			81	0.27		
			122	0.02		
			137	0.46		
			176	0.19		
			201	0.03		
			31	1.09		
			33	0.34		
			34/1	0.62		
			38/1	2.00		
			42/1	1.01		
			34/2	0.61		
			36	1.60		
			38/2	1.00		
			42/2	1.02		
			35	1.97		
			37	2.61		
			123	2.25		
			180	0.21		
			39	3.93		
			43	0.07		
			44	1.52		
			55	1.63		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			96	1.97		
			145	0.93		
			115	0.58		
			146	0.02		
			153	0.02		
			45	0.37		
			46	0.36		
			47/1	3.00		
			111	0.53		
			177	0.26		
			47/2	0.40		
			71	0.81		
			77	0.74		
			50	1.58		
			51	1.09		
			108	3.28		
			52	0.77		
			53	0.78		
			54	0.65		
			59	0.46		
			60	1.42		
			61	0.67		
			65	1.13		
			67	0.67		
			68	0.15		
			79/3	0.40		
			87	0.48		
			150	0.47		
			205	0.15		
			206	0.04		
			209	0.01		
			210	0.01		
			72	0.35		
			248/1	10.38		
			273	0.18		
			275	1.19		
			73/1	0.64		
			73/2	0.65		
			74	1.08		
			254	1.40		
			255	1.40		
			76	2.77		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			79/1	2.86		
			79/2	1.60		
			80	1.08		
			89/1	0.48		
			106/3	0.34		
			89/2	0.68		
			125/2	2.51		
			90	0.40		
			126/2	0.60		
			317/3	1.20		
			93	0.15		
			95	0.94		
			98	1.79		
			99	0.40		
			109	2.80		
			267	0.28		
			270	1.98		
			271	0.49		
			97	1.79		
			103	0.42		
			112	0.34		
			113	0.34		
			130	1.10		
			114/3	0.28		
			118	1.41		
			258	1.22		
			259	4.09		
			269	0.06		
			121	0.48		
			126/1	0.59		
			317/1	0.81		
			124	0.15		
			128	0.85		
			336	0.36		
			125/1	1.40		
			317/2	0.24		
			127	3.67		
			142	0.49		
			252	1.24		
			131	0.22		
			134	1.41		
			141	1.41		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			136	0.76		
			139	0.91		
			144	0.05		
			215	0.37		
			138	2.71		
			249	0.94		
			140	0.84		
			202	4.31		
			324	1.54		
			219	0.53		
			147	0.03		
			178	0.12		
			204	0.03		
			220	0.21		
			225	0.54		
			246	0.58		
			282	0.34		
			149	2.40		
			207	3.61		
			214	0.83		
			217	0.91		
			211	0.01		
			221	0.09		
			213	0.36		
			216	0.25		
			261	0.04		
			226	0.29		
			227	0.16		
			229	0.18		
			230	0.01		
			231	0.01		
			247	0.05		
			268	0.21		
			280	0.42		
			323/1	2.83		
			327	0.54		
			332	1.23		
			248/2	0.40		
			278	0.43		
			248/3	1.00		
			251	0.08		
			256	1.56		
			257	0.60		
			262	1.89		
			263	0.29		
			334	0.04		
			264/1	0.73		
			264/2	0.73		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			279	0.15		
			281	0.43		
			284	0.09		
			288	0.05		
			290	0.27		
			289	0.01		
			315	0.83		
			316	0.37		
			318	0.28		
			320	0.24		
			323/2	0.40		
			325	2.30		
			328	0.72		
			329	0.78		
			330	0.06		
			335/1	1.91		
			335/2	2.95		
			339	0.88		
			317	0.46		
			योग . .	<u>207.60</u>		
	शासकीय भूमि . .		12, 22,30, 40, 49, 57, 58, 110, 135,158, 218, 253, 260, 265, 266, 276, 304 314, 331, 333, 338, 92, 107, 133, 169, 175, 185, 272, 287, 340, 7, 11, 41, 48, 66, 83, 88, 106/2, 114/1, 120 200, 208, 212, 224 245, 311, 321, 322, 326, 337, 59/2, 56, 143, 91, 27, 4,277		27.82	
			कुल योग . .	<u>235.42</u>		

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवधेश प्रताप सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 16 फरवरी 2012

क्र. 354-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—चौरा 163
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.050 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
55/2	0.050
मध्यप्रदेश शासन	0
योग :	<u>0.050</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्यॉटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरक नहर की मुड़ियारी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 360-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर

- (ग) नगर/ग्राम—सपहा कोठार 530
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.052 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा अर्जित (हेक्टर में)
(1)	(2)
58	0.016
64	0.021
65	0.015
योग :	<u>0.052</u>

शासकीय मध्यप्रदेश शासन

00	00
00	00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्यॉटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरिका, की दुलहरा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 362-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—सेमरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.230 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
212	0.164
691	0.030
672	0.036
मध्यप्रदेश शासन	0
महायोग :	<u>0.230</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरक, की मुड़ियारी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 29 फरवरी 2012

क्र. 429-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) नगर/ग्राम—इटहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.345 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
666	0.121
311	0.077
390	0.147
योग :	<u>0.345</u>

क्र. 431-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर

- (ग) नगर/ग्राम—नेबूहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.088 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
606	0.088
योग :	<u>0.088</u>

क्र. 433-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—तेदुन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.150 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
536/1380/1ख	0.053
536/1380/2	0.097
योग :	<u>0.150</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक, नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 437-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक

एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—तेंदुन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.307 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1318	0.307
योग :	<u>0.307</u>

रीवा, दिनांक 3 मार्च 2012

क्र. 443-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—वेला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.814 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1101/1	0.064
1101/1क	0.045
1101/2	0.077
1101/3	0.053
988/2	0.041
982	0.008
607/1	0.218
437	0.058
441/1	0.058
1071	0.040
1078	0.028

(1)	(2)
1079	0.040
986/1	0.004
986/3	0.036
986/4	0.044
योग :	<u>0.814</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है—गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अमिरती शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 445-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—चौडियार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.506 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
241	0.053
245	0.021
246	0.143
272	0.022
273	0.239
274	0.014
280	0.002
240	0.012
योग :	<u>0.506</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना बांध के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि/शासकीय भूमि के सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 449-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—हरदी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.290 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1099/2	0.030
984/1	0.067
984/2	0.044
984/3	0.023
380	0.076
372	0.050

योग : 0.290

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है—गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अमिरती शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 24 फरवरी 2012

पत्र क्र. क/भू-अर्जन-तेदूखेड़ा-2012-826.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के

पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—जबेरा
(ग) ग्राम—पौड़ी महराज सिंह
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—21.87 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
707	0.09
708	0.52
688	0.30
709	0.20
713	1.00
714	0.25
715	0.12
716	0.13
726	0.10
727	0.11
729	0.24
730	0.49
731/1	1.00
731/2	1.00
731/3	0.25
731/4	0.16
731/5	0.65
731/6	0.65
731/7	0.25
731/8	0.25
731/9	0.25
731/10	0.16
731/11	0.16
731/12	0.17
732	0.62
733	0.62
734	0.73
735	2.57
736	0.65

(1)	(2)
737	0.62
738	0.20
739	0.59
741	0.60
742	0.60
744	0.19
745	0.26
746	0.48
747	0.37
748	0.15
749	0.10
750	0.60
751	0.30
752	0.40
753	0.41
754	0.69
755	1.01
756	0.22
757/1	0.09
757/2	0.10
757/3	0.20

योग : 21.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है—करारिया जलाशय योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तेंदूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 29 फरवरी 2012

प्र. क्र. 03 ए-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक

एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रायसेन
(ख) तहसील—सिलवानी
(ग) ग्राम—जामनपानी, घोघरी एवं नारायणपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.893 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किया गया रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
ग्राम—जामनपानी		
76	0.531	0.109
81	2.043	0.286
77	1.076	0.215
229/109	0.121	0.020
230/111	0.498	0.102
88/1	0.216	0.041
90/2	0.999	0.238
94/1	0.416	0.062
95,96/1	1.169	0.088
99/1	1.004	0.102
108	0.938	0.162
109	0.785	0.028
94/2	0.421	0.062
99/2	1.003	0.102
79	1.267	0.177
241/94	0.202	0.043
28/2, 52, 53, 55, 214/52/1	4.047	0.252
54/1	0.247	0.014
75	0.870	0.237
80	0.918	0.204
218/79	0.769	0.190
88/2	0.254	0.040
90/1	1.214	0.122
91	0.733	0.082
92	1.943	0.136

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
100	0.858	0.143	295/2	1.303	0.036
138, 139/2	1.461	0.136	296/2	5.058	0.546
142/2, 141/2, 141/3	1.497	0.036	51	17.666	0.208
147/1/2	2.023	0.238	ग्राम—नारायणपुर		
143	0.462	0.044	37/1	3.464	0.144
234/145	1.335	0.096	36/2	2.832	0.148
ग्राम—घोघरी			169/32	1.518	0.064
119	0.889	0.130	23/1	2.023	0.120
118	0.376	0.068	30/2	2.023	0.160
110	0.563	0.095	30/3	2.023	0.148
115	0.223	0.055	31	2.063	0.032
305/116	1.185	0.178	28	6.839	0.010
10	0.692	0.092	27/1/1	0.750	0.204
14	1.886	0.166	27/1/2	0.750	0.204
15	0.773	0.073	112/1	8.980	0.052
321/9	0.202	0.047	36/3	2.319	0.076
53	0.502	0.026	योग . . .	<u>139.199</u>	<u>8.893</u>
191	0.837	0.085	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सेमरा खास सिंचाई योजना की मुख्य नहर हेतु.		
33	2.274	0.114			
187/2	4.856	0.026	टीप.—भूमि के नक्शे का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, सिलवानी के कार्यालय में किया जा सकता है.		
74/1/2	1.93	0.052			
314/70	1.578	0.026	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		
278	3.007	0.224			
279	0.526	0.057	कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		
280	3.254	0.229			
71	1.270	0.120	खरगोन, दिनांक 2 मार्च 2012		
36	0.891	0.042			
74/1/1	1.93	0.052	क्र. 321-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह		
73	0.987	0.088			
72	0.849	0.078			
121	0.604	0.130			
9	1.898	0.062			
318/14	3.946	0.026			
23	4.743	0.265			
74/2	0.303	0.052			
47/1	3.662	0.13			
303/279	1.632	0.146			

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—कसरावद
(ग) ग्राम—भाडली (वन परिक्षेत्र कसरावद)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.363 हेक्टर.

दिनांक 13 दिसम्बर 2005 को अतिक्रमित वन भूमि जो वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है.

कक्ष क्रमांक	खसरा नम्बर	वनाधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त व्यक्तियों की वनभूमि का रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	
674 पैकि	1/1	1.606
675 पैकि	6/1	0.677
675 पैकि	6/1	0.563
675 पैकि	6/1	0.517
		योग : 3.363

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-24 एवं वनमण्डलाधिकारी, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 322-भू-अर्जन-2012.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—कसरावद
(ग) ग्राम—साडली (वन परिक्षेत्र कसरावद)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.241 हेक्टर.

दिनांक 13 दिसम्बर 2005 को अतिक्रमित वन भूमि जो वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है.

कक्ष क्रमांक	खसरा नम्बर	वनाधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त व्यक्तियों की वनभूमि का रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	
675 पैकि	281/1	0.364
677 पैकि	281/1	1.877
		योग : 2.241

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-24 एवं वनमण्डलाधिकारी, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 323-भू-अर्जन-2012.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—कसरावद
(ग) ग्राम—बारदेवला (वन परिक्षेत्र कसरावद)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.390 हेक्टर.

दिनांक 13 दिसम्बर 2005 को अतिक्रमित वन भूमि जो वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है.

कक्ष क्रमांक	खसरा नम्बर	वनाधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त व्यक्तियों की वनभूमि का रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	
675 पैकि	220/1	0.902
671 पैकि	220/1	1.200
673 पैकि	220/1	1.286
675 पैकि	232/1	0.449
674 पैकि	232/1	0.380
675 पैकि	232/1	0.173
		योग : 4.390

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-24 एवं वनमण्डलाधिकारी, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 324-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—कसरावद
(ग) ग्राम—गोपालपुरा (वन परिक्षेत्र कसरावद)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.225 हेक्टर.

दिनांक 13 दिसम्बर 2005 को अतिक्रमित वन भूमि जो वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।

कक्ष क्रमांक	खसरा नम्बर	वनाधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त व्यक्तियों की वनभूमि का रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	
677 पैकि	269	0.738
677 पैकि	269	0.963
677 पैकि	269	1.524
		योग : 3.225

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-24 एवं वनमण्डलाधिकारी, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 17 फरवरी 2012

क्र. 1085-भू-अर्जन.—संशोधित उद्घोषणा.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मझगवाँ
(ग) ग्राम—मझगवाँ
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.493 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित संशोधित रकबा (हे.में)	पूर्व में प्रकाशित (3)
(1)	(2)	(3)
609/2/2	0.042	0.042
607/2/1	—	0.020
609/2/1	0.042	0.042
607/1	—	0.039
608/3	—	0.013
610/1	0.046	0.046
611/1	0.011	0.011
603	0.116	0.176
612	0.040	0.040
647/852	0.052	0.052
613	0.144	0.144
614	0.064	0.004
636	0.165	0.165
655	0.065	0.065
615	0.136	0.136
646	—	0.133
647	—	0.084
649	—	0.011
650	0.078	0.078
648	0.105	0.105
651	—	0.099

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
661	0.314	0.314	710/1घ	0.230	0.370
662	0.181	0.181	710/2	0.439	0.439
663	0.059	0.059	710/1ख/1	0.502	0.502
667	0.720	0.238	710/1ग	0.360	0.360
749	0.434	0.434	489/1	0.045	0.045
668/2	0.226	—	491/1क	0.031	0.031
670	0.015	0.015	491/1ग	0.030	0.030
742	0.318	0.318	495/2/2	—	0.021
672/2	0.167	0.167	495/2	—	0.020
611/2क	0.006	0.006	497/3ग	0.086	0.086
611/2ख	0.005	0.005	497/4	0.132	0.132
611/3ख	0.005	0.006	497/2	0.270	0.270
611/3क	0.006	0.005	497/1	0.053	0.053
611/4	0.011	0.011	551	0.150	0.150
610/2	0.046	0.046	552/1	0.205	0.205
652	—	0.050	553	0.008	0.008
653	—	0.211	554/1	0.095	0.095
790/2	—	0.051	608/4	—	0.013
495/3	—	0.020	554/2/2	0.086	0.086
791	—	0.067	608/2	—	0.013
486/2क	0.209	—	554/2/1	0.046	0.046
486/2ख	0.209	—	608/1	0.013	0.013
790/1	—	0.051	607/2/2	—	0.019
1	—	0.014	496	0.270	—
79	—	0.025	664	0.160	—
668/1	—	0.226	665	0.067	—
647/852	—	0.003	671/2	0.032	—
661	—	0.195	योग . . .	8.493	
612	—	0.005			
611	—	0.044	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सतना-		
610	—	0.092	चित्रकूट राज्यमार्ग क्र.-11 के उन्नयन एवं सुदृढीकरण		
609/1	—	0.084	(डी.बी.एफ.ओ.टी. योजनान्तर्गत) 2 लेन मार्ग.		
554/2/3	—	0.086	(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय		
495/1/1	—	0.019	अधिकारी मझगवां, जिला सतना के कार्यालय में किया जा		
495/3/2	—	0.021	सकता है.		
491	—	0.181	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,		
710/1ख	—	0.551	सुखवीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		
486/2	—	0.418			
70/1	—	0.148			
1	0.074	0.074	कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश		
71	0.124	0.124	एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		
78	0.100	0.100	बुरहानपुर, दिनांक 28 फरवरी 2012		
79	0.076	0.025	रा. प्र. क्र.01-अ-82-2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस		
80	0.036	0.179	बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)		
70/1	0.209	0.209			
486/1	0.527	0.527			

में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा के लिए 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बुरहानपुर
(ख) तहसील—नेपानगर
(ग) ग्राम—नावरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.23 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
110/2	0.33
111/1	0.11
110/1	0.69
111/2	0.05
112/2	0.05
योग : 1.23	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—रहमानपुरा तालाब योजना अंतर्गत डूब में आ रही अतिशेष भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी नेपानगर/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
झाबुआ, दिनांक 2 मार्च 2012

क्र. 756-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची से पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ

(ख) तहसील—पेटलावद

(ग) ग्राम—चारणपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.01 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
40	0.16
45	0.50
48	0.35
योग : 1.01	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बेडदा तालाब निर्माण होने से ग्राम चारणपुरा का कुल रकबा निजी भूमि 1.01 हेक्टर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 3 मार्च 2012

क्र. 2104-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—बदनावर
(ग) ग्राम—तिलगारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.126 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
395/3	0.126
कुल योग : 0.126	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सिपनिया तालाब के निर्माण कार्य से प्रभावित होने से.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बदनावर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र. 2109-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—बदनावर
(ग) ग्राम—करणपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.450 हेक्टर.

सर्वे नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर वर्ग मी.में) (2)
818/1/1 (पैकी)	
818/1/1 (पैकी)	0.506
818/1/1 (पैकी)	0.506
818/1/1 (पैकी)	0.506
818/1/4	0.506
818/1/1 (पैकी)	0.253
818/1/2	0.632
818/3	0.632
818/1/1 (पैकी)	0.506
818/1/5	0.506
626/1/1/3/1	0.278
626/1/1/3/2	0.278
626/1/1/3/3	0.278
626/1/1/3/4	0.278
626/1/1/3/5	0.279
योग :	<u>6.450</u>
शासकीय भूमि 818/1/1	216.19 वर्ग मी.(6 मकान)
शासकीय भूमि 626/1/1	983.49 वर्गमी.(18 मकान)
योग :	<u>1199.68</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सिपनिया तालाब के निर्माण कार्य से प्रभावित होने से।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बदनावर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 03 मार्च 2012

क्र. 461-भू-अर्जन-नहर-2012.—प्र. क्र. 20 अ-82-2011-12 चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) का की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—अंजड़
(ग) ग्राम का नाम—अंजड़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.358 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
363/2 पैकि	0.428
364 पैकि	0.769
380/3, 381/1 पैकि	0.222
384/1 पैकि	0.081
384/2 पैकि	0.113
386/1 पैकि	0.186
386/2 पैकि	0.186
387/1 पैकि	0.271
387/2 पैकि	0.125
388/1, 388/2, 389/1,	0.664
389/2 पैकि	
393, 394 पैकि	0.178
397/1/1 क पैकि	0.235
397/1/2क पैकि	0.259
397/2 पैकि	0.182
399/1 पैकि	0.178
399/3 पैकि	0.202
400/1 पैकि	0.162
400/2 पैकि	0.162
401/1 पैकि	0.121

(1)	(2)	(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.370 हेक्टेयर.	
401/2 पैकि	0.259	खसरा	रकबा
411/3 पैकि	0.364	नम्बर	(हेक्टेयर में)
411/5, 411/6 पैकि	0.384	(1)	(2)
412/4 पैकि	0.425	539	0.080
416/1 पैकि	0.789	537	0.250
416/2 पैकि	0.154	542/1	0.130
448 पैकि	0.089	542/618	0.030
449/1 पैकि	0.138	543	0.110
449/2 पैकि	0.032	588	0.400
		587	0.350
		586	0.020
		योग . .	1.370

योग : 7.358

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी टेलमाईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कार्यालय कलेक्टर जिला-बड़वानी व कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 11, बड़वानी में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 3 मार्च 2012

प्र. क्र. 1-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा (6) के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—टीकमगढ़
(ग) नगर/ग्राम—आलमपुरा

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा (6) के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—टीकमगढ़
(ग) नगर/ग्राम—तखा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.412 हेक्टेयर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
217/1	0.105
217/2	0.100
216/3	0.255
216/6	0.420
216/5	0.290
27	0.210
28	0.050

(1)	(2)
32/2	0.310
39	0.165
37	0.041
38	0.105
40	0.035
44/2/1	0.326
योग . . . 2.412	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा (6) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
- (ख) तहसील—टीकमगढ़
- (ग) नगर/ग्राम—मानिकपुरा जागीर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.477 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
347/1अ	0.235
346/3	0.229
253/1 जूज.	0.380
303	0.250
301	0.080
273	0.080
274	0.060
275	0.030
282	0.062
266	0.101
284	0.010
285/1	0.160
204	0.010

(1)	(2)
203	0.165
197	0.030
198	0.070
201/2	0.040
53	0.030
63	0.060
62	0.140
61	0.120
59	0.103
60	0.032
योग . . . 2.477	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा (6) के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
- (ख) तहसील—टीकमगढ़
- (ग) नगर/ग्राम—पहाड़ी खुर्द
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—5.605 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
120/7	0.045
120/6	0.055
122/2	0.485
112/4	0.305
112/5	0.305
36/जु.	0.325
39	0.510
40	0.285

(1)	(2)	(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.491 हेक्टेयर.	
		खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
		(1)	(2)
242/1	0.035	782/1/स	0.070
243	0.095	782/1/द	0.060
244	0.105	782/1/1	0.200
245	0.135	782/1/अ	0.180
246	0.075	782/2/1	0.100
248/2	0.480	782/3/1	0.100
250/1	0.240	782/3/2	0.100
251/1	0.095	765	0.010
252	0.085	754/3/अ	0.040
233	0.375	761/4	0.040
232	0.150	754/4/क	0.100
231	0.055	754/2/2क	0.050
230	0.095	761/3	0.120
229	0.045	563	0.004
222/2	0.215	564	0.008
222/1	0.275	552	0.030
213/3	0.230	553	0.030
207	0.335	570	0.040
208	0.070	571	0.030
120/5	0.090	572	0.070
		522	0.020
	योग . . . 5.605	518	0.020
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.		536	0.070
		538	0.020
		529	0.012
		537	0.040
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.		530	0.060
		531	0.030
		525	0.050
		524	0.040
		521	0.070
		523	0.020
		504	0.090
		489/5	0.040
		418/3/स	0.150
		421/1	0.111
		421/2	0.100
		401	0.111
		398	0.055
		योग . . . 2.491	

प्र. क्र. 6-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा (6) के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—टीकमगढ़
(ग) नगर/ग्राम—हनुमानसागर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 8-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—टीकमगढ़
(ग) नगर/ग्राम—हीरानगर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.260 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
482/1	0.260
482/2	0.110
482/3	0.050
483	0.320
484	0.010
506	0.040
507	0.100
504	0.200
503	0.030
492/2	0.170
493/1	0.250
493/2	0.130
355	0.030
326	0.010
327	0.015
339	0.175
337	0.015
336	0.010
335	0.120
332	0.005
186/2	0.180
187/2	0.050
188	0.160
98/2	0.210
98/1	0.030
97/2	0.200
97/1/1	0.310
91/5	0.070
योग . . .	<u>3.260</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—टीकमगढ़
(ग) नगर/ग्राम—बंधिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.600 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
435/2	0.160
430/7/2	0.130
430/7/1	0.270
430/6	0.260
425/2	0.260
424	0.020
423	0.130
425/528	0.130
411	0.100
410	0.130
364	0.060
363	0.170
359/502	0.060
339	0.060
354/4	0.260
354/3	0.400
योग . . .	<u>2.600</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 11-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/2	0.100
3/6/1	0.115
3/6/1/2	0.070
3/5	0.060
6/1	0.260
6/2	0.240
5/1	0.040
11	0.610
37/1	0.004
37/2	0.010
20	0.120
15	0.080
16	0.080
19	0.040
311	0.200
335	0.040
336	0.001
337	0.007
333	0.007
334	0.011
312	0.040
331/1	0.150
324	0.055
325	0.020
326	0.032
322	0.055
322/421	0.040
327	0.100
321/2	0.090
328/1	0.008
योग . .	2.685

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 13-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—टीकमगढ़
(ग) नगर/ग्राम—धरमपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.780 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
63	0.300
51	0.200
5/3	0.100
4/2	0.180

योग . . 0.780

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर, दिनांक 5 मार्च 2012

प्र. क्र. 7-अ-82-2010-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)

में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) ग्राम—अक्टोंहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि—10.558 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
712	0.010
713	0.540
718/1	0.263
718/2	0.030
723/1	0.193
723/2	0.186
723/3	0.178
724	0.170
725	0.322
727	0.014
771	0.360
772	0.150
773/1	0.040
773/2	0.120
773/3	0.190
774	0.020
794/1	0.010
775/3	0.324
781	0.240
785	0.110
786	0.105
787	0.120
788	0.335
789, 790	0.010
780	0.050
792/1/1, 793/1/1	0.200
792/1/2, 793/1/2	0.200
792/2/1, 802	0.200
792/2/2, 802	0.010
782/1	0.370

(1)	(2)
782/2	0.230
784/4, 809/4	0.074
1852	0.320
1857/1, 1858/1, 1869/1	0.020
1859	0.024
1857/2/1, 1858/2/1, 1869/2/1	0.557
1857/2/2, 1858/2/2, 1869/2/2	0.009
1870	0.210
1850, 1851	0.130
1921	0.060
1923/1	0.221
1923/2	0.221
1924	0.266
1925	0.273
2067/1	0.175
2067/2	0.323
2069/1/1	0.140
2069/1/2	0.070
2069/2	0.080
2071/2, 2086/2	0.608
2087	0.497
2088/1	0.021
2094	0.226
2095/2097/1	0.307
2097/2, 2099/1	0.320
2106/2	0.056
770	0.010
1922	0.020
2103	0.020
योग . . .	<u>10.558</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है--सिंहपुर बैराज परियोजना अन्तर्गत मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 15 जुलाई 2011

प्र. क्र. 155-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	टौरिया	निजी भूमि 2.00 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.10 है. <hr/> कुल रकबा 3.10 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रायपुर तालाब योजना, अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 6 मार्च 2012

प्र. क्र. 018-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	चकरभटा	निजी भूमि 1.20 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है. <hr/> कुल रकबा 1.20 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	चकरभटा तालाब योजना अन्तर्गत बांध के निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 019-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	बोरी	निजी भूमि 1.17 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.07 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बोरी तालाब योजना अन्तर्गत बांध के निर्माण कार्य.
<u>कुल रकबा 1.24 है.</u>					

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 020-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	अतरहाई	निजी भूमि 0.76 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	अतरहाई तालाब योजना अन्तर्गत बांध के निर्माण कार्य.
<u>कुल रकबा 0.76 है.</u>					

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 021-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	महेबा	निजी भूमि 0.12 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 2.05 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	चकरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध के निर्माण कार्य.
<u>कुल रकबा 2.17 है.</u>					

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 022-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	रगौली	निजी भूमि 2.72 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.35 है. <u>कुल रकबा 3.07</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	भर्रा तालाब योजना अन्तर्गत नहर के निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 023-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	महगंवा	निजी भूमि 128.014 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 85.619 है. <u>कुल रकबा 213.633 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 024-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	महुआखेड़ा	निजी भूमि 29.153 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 41.592 है. <u>कुल रकबा 70.745 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 025-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	बिहरिया	निजी भूमि 57.017 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 32.863 है. कुल रकबा 89.880 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 026-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	नूनागर	निजी भूमि 42.143 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 27.227 है. कुल रकबा 69.370 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 027-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	धौवापुरा	निजी भूमि 81.169 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 31.514 है. कुल रकबा 112.683 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 028-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	खमतरा	निजी भूमि 62.426 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 16.786 है. <u>कुल रकबा 79.212 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 029-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	ठेपा	निजी भूमि 2.07 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.20 है <u>कुल रकबा 2.27 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	चकरभटा तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 030-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	ठरका	निजी भूमि 0.71 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है. <u>कुल रकबा 0.71 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बोरी तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 031-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	देवरा	निजी भूमि 0.72 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है. <u>कुल रकबा 0.72 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	देवरा नं. 2 तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 032-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	ताला	निजी भूमि 0.18 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है. <u>कुल रकबा 0.18 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	ताला तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 033-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	तालागांव	निजी भूमि 254.00 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 32.50 है. <u>कुल रकबा 286.50 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पतने मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 034-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	इटवांकला	निजी भूमि 190.00 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 42.00 है. <u>कुल रकबा 232.00 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	डोभा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 035-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	हनुमतपुर टौरिया	निजी भूमि 3.40 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.60 है. <u>कुल रकबा 4.00 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बड़ी बनहरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 038-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	सलैया समारी	निजी भूमि 38.09 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 29.96 है. <u>कुल रकबा 68.05 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पवई मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 039-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	मरहा	निजी भूमि 39.84 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 31.13 है. <u>कुल रकबा 70.97 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पवई मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 040-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	कठई	निजी भूमि 28.17 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 28.79 है. <u>कुल रकबा 56.96 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पवई मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 042-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	सारंगपुर	निजी भूमि 54.57 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 32.91 है. <u>कुल रकबा 87.48 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पवई मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 043-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	सतधारा	निजी भूमि 58.05 हे एवं शासकीय भूमि रकबा 34.77 है. <u>कुल रकबा 92.82 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पवई मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.83 हेक्टेयर.

पन्ना, दिनांक 6 मार्च 2012

प्र. क्र. 001-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—सब्दुआ

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
567/1	0.14	निजी भूमि
568/1	0.04	निजी भूमि
570	0.04	निजी भूमि
568/2	0.08	निजी भूमि
569	0.04	निजी भूमि
571	0.04	निजी भूमि
573	0.02	निजी भूमि
749/2	0.05	निजी भूमि
571/2	0.04	निजी भूमि
749/1क	0.10	निजी भूमि
596	0.11	निजी भूमि
603	0.05	निजी भूमि
604	0.10	निजी भूमि
722	0.10	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
723	0.15	निजी भूमि
731	0.14	निजी भूमि
730	0.14	निजी भूमि
730/1223	0.10	निजी भूमि
732/2	0.04	निजी भूमि
732/3	0.03	निजी भूमि
733	0.05	निजी भूमि
734	0.13	निजी भूमि
735	0.16	निजी भूमि
736	0.01	निजी भूमि
752/1243	0.16	निजी भूमि
746	0.30	निजी भूमि
748	0.30	निजी भूमि
749/1ख	0.20	निजी भूमि
751	0.40	निजी भूमि
752	0.01	निजी भूमि
770/2	0.04	निजी भूमि
771	0.09	निजी भूमि
1090/1	0.12	निजी भूमि
772	0.01	निजी भूमि
773/1	0.10	निजी भूमि
773/2	0.09	निजी भूमि
774	0.08	निजी भूमि
776	0.25	निजी भूमि
778/2	0.10	निजी भूमि
788/2क	0.10	निजी भूमि
788/2ख	0.10	निजी भूमि
789	0.20	निजी भूमि
790	0.15	निजी भूमि
791/1	0.11	निजी भूमि
791/2	0.02	निजी भूमि
797	0.12	निजी भूमि
1090/2	0.12	निजी भूमि
1105	0.80	निजी भूमि
1109	0.96	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>6.83</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सब्बुआ तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 002-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अजयगढ़
(ग) ग्राम—भापतपुर कुर्मियान
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.50 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
259	0.40	निजी भूमि
380/1460	0.07	निजी भूमि
399/1	0.03	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>0.50</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सब्बुआ तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 003-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज
(ग) ग्राम—कल्याणपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.39 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
33/1	0.02	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
33/4	0.03	निजी भूमि
57/2	0.08	निजी भूमि
57/3	0.08	निजी भूमि
33/2	0.02	निजी भूमि
34	0.05	निजी भूमि
39	0.03	निजी भूमि
36	0.03	निजी भूमि
33/3	0.02	निजी भूमि
38	0.03	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	0.39	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरौंहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 004-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज
(ग) ग्राम—रामपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.26 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1012	0.06	निजी भूमि
1013/1	0.01	निजी भूमि
1013/2	0.01	निजी भूमि
1010	0.02	निजी भूमि
1007	0.02	निजी भूमि
1003	0.10	निजी भूमि
1006	0.04	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	0.26	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरौंहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 005-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज
(ग) ग्राम—बरौंहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.72 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
337	0.06	निजी भूमि
341	0.06	निजी भूमि
342	0.04	निजी भूमि
365	0.04	निजी भूमि
406	0.07	निजी भूमि
374	0.05	निजी भूमि
344/433	0.05	निजी भूमि
346	0.03	निजी भूमि
373	0.06	निजी भूमि
366	0.06	निजी भूमि
368	0.07	निजी भूमि
369	0.02	निजी भूमि
407	0.11	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	0.72	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरौंहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 006-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—रैपुरा
(ग) ग्राम—हरदुआ सारसबाहू
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.46 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1035	0.20	निजी भूमि
1036	0.15	निजी भूमि
1042	0.29	निजी भूमि
1067	0.25	निजी भूमि
1069	0.09	निजी भूमि
1044	0.33	निजी भूमि
1045	0.09	निजी भूमि
536	0.06	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	1.46	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—हरदुआ सारसबाहू तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं डूब क्षेत्र एवं स्पिल चैनल के निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 007-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना

- (ख) तहसील—रैपुरा
(ग) ग्राम—डोभाबघनरवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.21 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
401	0.03	निजी भूमि
404/2	0.09	निजी भूमि
400	0.01	निजी भूमि
500	0.01	निजी भूमि
503	0.01	निजी भूमि
504	0.06	निजी भूमि
506	0.06	निजी भूमि
505	0.05	निजी भूमि
479	0.01	निजी भूमि
356	0.12	निजी भूमि
390	0.15	निजी भूमि
555	0.01	निजी भूमि
554	0.01	निजी भूमि
552	0.01	निजी भूमि
551	0.04	निजी भूमि
578	0.01	निजी भूमि
577	0.07	निजी भूमि
585	0.04	निजी भूमि
587	0.07	निजी भूमि
588	0.07	निजी भूमि
592	0.07	निजी भूमि
593	0.01	निजी भूमि
650	0.03	निजी भूमि
694	0.06	निजी भूमि
698	0.07	निजी भूमि
718	0.04	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	1.21	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बघनरवा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 008-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन

के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—रैपुरा

(ग) ग्राम—रैपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.012 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	(1)	(2)	(3)
(1)	(2)	(3)			
			1205	0.022	निजी भूमि
			1206	0.010	निजी भूमि
			1216/2	0.013	निजी भूमि
			1673	0.045	निजी भूमि
			1687	0.024	निजी भूमि
			1679	0.045	निजी भूमि
			1683, 1678	0.028	निजी भूमि
			1680	0.012	निजी भूमि
			1684	0.025	निजी भूमि
			1685	0.020	निजी भूमि
			1682	0.012	निजी भूमि
			1686	0.028	निजी भूमि
123	0.085	निजी भूमि	1693	0.010	निजी भूमि
124/1	0.078	निजी भूमि	1694	0.016	निजी भूमि
124/2	0.078	निजी भूमि	1695	0.020	निजी भूमि
713	0.147	निजी भूमि	1699	0.030	निजी भूमि
718	0.045	निजी भूमि	1696	0.010	निजी भूमि
717	0.065	निजी भूमि	1704	0.010	निजी भूमि
1226/2	0.050	निजी भूमि	2190	0.022	निजी भूमि
1215	0.010	निजी भूमि	2193	0.030	निजी भूमि
1207	0.035	निजी भूमि	2205	0.018	निजी भूमि
1209	0.016	निजी भूमि	2211	0.020	निजी भूमि
1201	0.028	निजी भूमि	2212	0.024	निजी भूमि
1582	0.020	निजी भूमि	2213	0.012	निजी भूमि
1202	0.028	निजी भूमि	2216	0.025	निजी भूमि
1204	0.043	निजी भूमि	2214	0.012	निजी भूमि
1200	0.020	निजी भूमि	2218	0.024	निजी भूमि
1583	0.036	निजी भूमि	2452	0.040	निजी भूमि
1586	0.010	निजी भूमि	2460	0.060	निजी भूमि
1587	0.024	निजी भूमि	2441	0.010	निजी भूमि
1588	0.010	निजी भूमि	2442	0.020	निजी भूमि
1589	0.010	निजी भूमि	2436	0.010	निजी भूमि
1623	0.018	निजी भूमि	2445	0.020	निजी भूमि
1624	0.024	निजी भूमि	2446	0.020	निजी भूमि
1658	0.048	निजी भूमि	2448	0.030	निजी भूमि
1659	0.010	निजी भूमि	2449	0.015	निजी भूमि
1661	0.015	निजी भूमि	2564	0.040	निजी भूमि
1663	0.046	निजी भूमि	2565	0.040	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2569	0.020	निजी भूमि	1018	0.05	निजी भूमि
2575	0.020	निजी भूमि	1054	0.02	निजी भूमि
2574	0.025	निजी भूमि	1060	0.02	निजी भूमि
2780	0.024	निजी भूमि	1059	0.02	निजी भूमि
2778	0.042	निजी भूमि	947	0.01	निजी भूमि
2774	0.010	निजी भूमि	944	0.05	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . . .	<u>2.012</u>		1049	0.05	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कोहाडोल तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.			1051	0.05	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.			1053	0.01	निजी भूमि
			1055	0.02	निजी भूमि
			1056	0.01	निजी भूमि
			1058	0.02	निजी भूमि
			1057	0.03	निजी भूमि
			1138	0.05	निजी भूमि
			1137	0.01	निजी भूमि
			1143	0.02	निजी भूमि
			1144	0.03	निजी भूमि
			1149	0.07	निजी भूमि
			1050	0.06	निजी भूमि
			1151	0.02	निजी भूमि
			1196	0.03	निजी भूमि
			1197	0.06	निजी भूमि
			1198	0.03	निजी भूमि
			1267/1	0.01	निजी भूमि
			1267/2	0.01	निजी भूमि
			1238	0.03	निजी भूमि
			1246	0.03	निजी भूमि
			1247	0.03	निजी भूमि
			1248	0.01	निजी भूमि
			कुल रकबा निजी भूमि . . .	<u>1.21</u>	
			(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—खोरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.		
			(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.		
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार			
(1)	(2)	(3)			
1029	0.04	निजी भूमि			
1020	0.12	निजी भूमि			
1027	0.01	निजी भूमि			
1028	0.01	निजी भूमि			
1030	0.01	निजी भूमि			
1030	0.04	निजी भूमि			
1015	0.02	निजी भूमि			
942	0.03	निजी भूमि			
930	0.07	निजी भूमि			

प्र. क्र. 010-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर

(ग) ग्राम—बघवारखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.25 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर कुल अर्जित रकबा भूमि का
(हेक्टेयर में) प्रकार
(1) (2) (3)

543	0.07	निजी भूमि
544	0.04	निजी भूमि
523	0.03	निजी भूमि
609	0.03	निजी भूमि
461	0.03	निजी भूमि
509	0.06	निजी भूमि
507	0.05	निजी भूमि
508	0.03	निजी भूमि
462	0.05	निजी भूमि
510	0.01	निजी भूमि
601	0.03	निजी भूमि
610	0.02	निजी भूमि
460	0.03	निजी भूमि
608	0.04	निजी भूमि
622	0.01	निजी भूमि
618	0.01	निजी भूमि
623	0.02	निजी भूमि
767	0.07	निजी भूमि
826	0.05	निजी भूमि
766	0.07	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
606	0.04	निजी भूमि
624	0.03	निजी भूमि
625	0.08	निजी भूमि
459	0.08	निजी भूमि
652	0.05	निजी भूमि
653	0.03	निजी भूमि
654	0.04	निजी भूमि
649	0.03	निजी भूमि
646	0.07	निजी भूमि
828	0.02	निजी भूमि
825/1	0.04	निजी भूमि
824	0.04	निजी भूमि
834	0.05	निजी भूमि
835	0.03	निजी भूमि
836	0.04	निजी भूमि
818/1	0.04	निजी भूमि
816	0.04	निजी भूमि
815	0.04	निजी भूमि
814	0.05	निजी भूमि
817	0.02	निजी भूमि
808/1	0.04	निजी भूमि
807	0.03	निजी भूमि
806	0.03	निजी भूमि
846	0.04	निजी भूमि
849	0.05	निजी भूमि
850	0.05	निजी भूमि
764	0.03	निजी भूमि
765	0.02	निजी भूमि
754	0.05	निजी भूमि
755/2	0.02	निजी भूमि
755/1	0.02	निजी भूमि
732	0.07	निजी भूमि
466	0.05	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
453	0.07	निजी भूमि	89	0.03	निजी भूमि
454	0.04	निजी भूमि	47	0.02	निजी भूमि
452	0.03	निजी भूमि	46	0.03	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>2.25</u>		26	0.08	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—खोरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.			46/889	0.04	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.			45	0.04	निजी भूमि
			25	0.04	निजी भूमि
			275	0.03	निजी भूमि
			268	0.04	निजी भूमि
प्र. क्र. 011-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—			248	0.01	निजी भूमि
			45/891	0.03	निजी भूमि
			634	0.01	निजी भूमि
			24	0.04	निजी भूमि
			257	0.03	निजी भूमि
			269	0.03	निजी भूमि
			26/890	0.02	निजी भूमि
(1) भूमि का वर्णन—			15	0.08	निजी भूमि
(क) जिला—पन्ना			198	0.02	निजी भूमि
(ख) तहसील—रैपुरा			199	0.01	निजी भूमि
(ग) ग्राम—पडरेही			196	0.07	निजी भूमि
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.47 हेक्टेयर			197	0.05	निजी भूमि
			292	0.01	निजी भूमि
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	291	0.06	निजी भूमि
(1)	(2)	(3)	290	0.01	निजी भूमि
78	0.07	निजी भूमि	289	0.06	निजी भूमि
245	0.01	निजी भूमि	260	0.03	निजी भूमि
636	0.03	निजी भूमि	259	0.03	निजी भूमि
635	0.03	निजी भूमि	265	0.04	निजी भूमि
82	0.09	निजी भूमि	276	0.04	निजी भूमि
97	0.04	निजी भूमि	632	0.04	निजी भूमि
95	0.05	निजी भूमि	कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>1.47</u>	
94	0.03	निजी भूमि	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—पटी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.		
92	0.01	निजी भूमि	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.		
91	0.02	निजी भूमि			
90	0.02	निजी भूमि			

प्र. क्र. 012-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—रैपुरा

(ग) ग्राम—अधराड

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.10 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	(1)	(2)	(3)
(1)	(2)	(3)			
2451	0.02	निजी भूमि	2331	0.01	निजी भूमि
2450	0.02	निजी भूमि	2333	0.02	निजी भूमि
2446	0.03	निजी भूमि	2337	0.06	निजी भूमि
2449	0.05	निजी भूमि	2349	0.04	निजी भूमि
2447	0.02	निजी भूमि	2122	0.03	निजी भूमि
2445	0.01	निजी भूमि	2320	0.03	निजी भूमि
2441	0.04	निजी भूमि	2332	0.08	निजी भूमि
2440	0.01	निजी भूमि	2350	0.02	निजी भूमि
2439	0.04	निजी भूमि	2123	0.02	निजी भूमि
2094	0.04	निजी भूमि	2120	0.03	निजी भूमि
2429	0.05	निजी भूमि	2336	0.03	निजी भूमि
2415	0.05	निजी भूमि	2370	0.01	निजी भूमि
2416	0.03	निजी भूमि	2321	0.01	निजी भूमि
2414	0.04	निजी भूमि	2342	0.03	निजी भूमि
2308	0.01	निजी भूमि	2347	0.02	निजी भूमि
2412	0.17	निजी भूमि	2318	0.04	निजी भूमि
2411	0.02	निजी भूमि	2343	0.06	निजी भूमि
2317	0.02	निजी भूमि	2344	0.08	निजी भूमि
2315	0.01	निजी भूमि	2150	0.01	निजी भूमि
2316	0.01	निजी भूमि	2893	0.01	निजी भूमि
2351	0.01	निजी भूमि	2148	0.01	निजी भूमि
2319	0.01	निजी भूमि	2143	0.03	निजी भूमि
2348	0.02	निजी भूमि	2142	0.02	निजी भूमि
2330	0.08	निजी भूमि	2141	0.03	निजी भूमि
2253	0.02	निजी भूमि	2137	0.04	निजी भूमि
2149	0.05	निजी भूमि	2136	0.01	निजी भूमि
2892	0.01	निजी भूमि	2103	0.01	निजी भूमि
			2104	0.02	निजी भूमि
			2109	0.02	निजी भूमि
			2108	0.01	निजी भूमि
			2107	0.03	निजी भूमि
			2106	0.01	निजी भूमि
			2105	0.01	निजी भूमि
			2093	0.01	निजी भूमि
			2097	0.01	निजी भूमि
			2098	0.02	निजी भूमि
			2099	0.02	निजी भूमि
			2017	0.01	निजी भूमि
			2019	0.02	निजी भूमि
			2020	0.02	निजी भूमि
			2021	0.01	निजी भूमि
			2032	0.01	निजी भूमि
			2033	0.02	निजी भूमि
			2024	0.02	निजी भूमि
			2037	0.01	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2028	0.01	निजी भूमि	947	0.05	निजी भूमि
2023	0.01	निजी भूमि	980	0.05	निजी भूमि
2036	0.02	निजी भूमि	981	0.03	निजी भूमि
2035	0.03	निजी भूमि	982	0.03	निजी भूमि
2034	0.01	निजी भूमि	983	0.01	निजी भूमि
2339	0.01	निजी भूमि	984	0.05	निजी भूमि
2110	0.01	निजी भूमि	985	0.07	निजी भूमि
2882	0.01	निजी भूमि	986	0.03	निजी भूमि
2025	0.03	निजी भूमि	1003	0.03	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>2.10</u>		1006	0.04	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पटी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.			1007	0.05	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.			1022	0.05	निजी भूमि
			1023	0.03	निजी भूमि
			1002	0.05	निजी भूमि
			1024	0.07	निजी भूमि
			864	0.03	निजी भूमि
			865	0.01	निजी भूमि
			867	0.01	निजी भूमि
			869	0.05	निजी भूमि
			924	0.07	निजी भूमि
			923	0.07	निजी भूमि
			911	0.04	निजी भूमि
			912/2	0.03	निजी भूमि
			912/1	0.03	निजी भूमि
			913	0.02	निजी भूमि
			1026	0.01	निजी भूमि
			कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>1.33</u>	

प्र. क्र. 013-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—रैपुरा
(ग) ग्राम—पटीखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.33 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
952	0.04	निजी भूमि
946	0.01	निजी भूमि
953	0.02	निजी भूमि
954	0.05	निजी भूमि
951	0.06	निजी भूमि
979	0.05	निजी भूमि
871	0.02	निजी भूमि
949	0.03	निजी भूमि
948	0.04	निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पटी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 014-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना

- (ख) तहसील—रैपुरा
(ग) ग्राम—माधवपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.06 हेक्टेयर.

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अजयगढ़
(ग) ग्राम—नरदहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.10 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)	भूमि का प्रकार (3)
358	0.10	निजी भूमि
356	0.13	निजी भूमि
387	0.02	निजी भूमि
388	0.02	निजी भूमि
389	0.04	निजी भूमि
390	0.04	निजी भूमि
321	0.08	निजी भूमि
322	0.05	निजी भूमि
326	0.05	निजी भूमि
376	0.03	निजी भूमि
327	0.04	निजी भूमि
285	0.05	निजी भूमि
282	0.04	निजी भूमि
281	0.04	निजी भूमि
278	0.02	निजी भूमि
277	0.01	निजी भूमि
260	0.05	निजी भूमि
257	0.08	निजी भूमि
241	0.02	निजी भूमि
242/2	0.04	निजी भूमि
243/2	0.01	निजी भूमि
243/1	0.03	निजी भूमि
503	0.06	निजी भूमि
353	0.01	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . . .		1.06

खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)	भूमि का प्रकार (3)
2593	0.13	निजी भूमि
2597	0.03	निजी भूमि
2598	0.08	निजी भूमि
2599	0.07	निजी भूमि
2594	0.02	निजी भूमि
2599/2657	0.10	निजी भूमि
2602	0.01	निजी भूमि
2527/1	0.05	निजी भूमि
2526	0.01	निजी भूमि
1821	0.04	निजी भूमि
2524	0.08	निजी भूमि
2508/1	0.29	निजी भूमि
2511	0.04	निजी भूमि
2523	0.08	निजी भूमि
2528	0.10	निजी भूमि
2525	0.03	निजी भूमि
1813	0.22	निजी भूमि
1817	0.08	निजी भूमि
2509	0.06	निजी भूमि
2498	0.24	निजी भूमि
2508/2	0.11	निजी भूमि
1818	0.09	निजी भूमि
1804	0.01	निजी भूमि
1791	0.01	निजी भूमि
1799	0.10	निजी भूमि
1798	0.09	निजी भूमि
1797	0.08	निजी भूमि
1727	0.08	निजी भूमि
1728	0.07	निजी भूमि
1647	0.02	निजी भूमि
1645	0.04	निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पटी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य, निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 015-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1648	0.01	निजी भूमि	465	1.10	निजी भूमि
1640	0.01	निजी भूमि	459/1	0.58	निजी भूमि
1646/1	0.07	निजी भूमि	458	0.65	निजी भूमि
1646/2	0.04	निजी भूमि	456/2	0.60	निजी भूमि
1638/2	0.06	निजी भूमि	436	0.04	निजी भूमि
1639	0.08	निजी भूमि	437	0.35	निजी भूमि
1592	0.12	निजी भूमि	438	0.97	निजी भूमि
1584	0.04	निजी भूमि	439	0.54	निजी भूमि
2499	0.20	निजी भूमि	440	0.65	निजी भूमि
1849	0.11	निजी भूमि	428	0.49	निजी भूमि
2465	0.40	निजी भूमि	459/2	0.50	निजी भूमि
2642	0.50	निजी भूमि	461/2	0.33	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . . .	4.10		429	0.20	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बहरी			430	0.56	निजी भूमि
तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य, हेतु.			431	0.36	निजी भूमि
			432	0.24	निजी भूमि
			433	0.08	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय			425	0.44	निजी भूमि
पन्ना में किया जा सकता है.			424	0.55	निजी भूमि
			423/1	0.38	निजी भूमि
प्र. क्र. 016-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को			420	0.29	निजी भूमि
यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित			421	0.28	निजी भूमि
भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन			422	0.15	निजी भूमि
के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894			414	0.93	निजी भूमि
(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया			412	0.44	निजी भूमि
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—			413	0.16	निजी भूमि
			455/2	0.34	निजी भूमि
			418	0.53	निजी भूमि
			419	0.73	निजी भूमि
			415	0.48	निजी भूमि
			423/2	0.40	निजी भूमि
			481/1	0.48	निजी भूमि
			468	0.75	निजी भूमि
			469/1	0.44	निजी भूमि
			472/2	0.75	निजी भूमि
			473	0.74	निजी भूमि
			474/1	0.49	निजी भूमि
			471/1	0.74	निजी भूमि
			476/3	0.62	निजी भूमि
			470	0.47	
			471/2	0.63	
			476/1	0.47	निजी भूमि
			477/1	0.50	निजी भूमि
			478	2.00	निजी भूमि
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा	भूमि का			
	(हेक्टेयर में)	प्रकार			
(1)	(2)	(3)			
409/2	0.10	निजी भूमि			
460	0.68	निजी भूमि			
461/1	0.30	निजी भूमि			
462	4.56	निजी भूमि			
463	1.21	निजी भूमि			
464	0.59	निजी भूमि			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
803	1.16	निजी भूमि	845/2	0.43	निजी भूमि
804	0.55	निजी भूमि	386	1.29	निजी भूमि
805	1.52	निजी भूमि	385	0.09	निजी भूमि
806	0.41	निजी भूमि	384	0.72	निजी भूमि
807	1.25	निजी भूमि	383	0.21	निजी भूमि
808	0.14	निजी भूमि	382	0.69	निजी भूमि
809	0.49	निजी भूमि	393	0.40	निजी भूमि
810/1	0.55	निजी भूमि	390	0.16	निजी भूमि
812	1.11	निजी भूमि	389	0.16	निजी भूमि
814	0.17	निजी भूमि	388	0.13	निजी भूमि
815	0.37	निजी भूमि	387	0.21	निजी भूमि
816	1.58	निजी भूमि	469/2	0.26	निजी भूमि
817	0.56	निजी भूमि	471/1	1.80	निजी भूमि
818	0.05	निजी भूमि	475	1.06	निजी भूमि
819/2	0.45	निजी भूमि	474/2	0.43	निजी भूमि
822	1.20	निजी भूमि	476/2	0.43	निजी भूमि
852/2	0.60	निजी भूमि	822/855	0.70	निजी भूमि
851/1	0.50	निजी भूमि	477/2	0.60	निजी भूमि
851/2	0.44	निजी भूमि	700	1.45	निजी भूमि
850	0.50	निजी भूमि	698	0.10	निजी भूमि
850/2	0.44	निजी भूमि	521	0.30	निजी भूमि
848/1	0.50	निजी भूमि	520	0.40	निजी भूमि
848/2	0.20	निजी भूमि	608	0.54	निजी भूमि
847/2	0.30	निजी भूमि	610	0.12	निजी भूमि
846/2	0.10	निजी भूमि	609	0.15	निजी भूमि
846/1	0.40	निजी भूमि	607	0.21	निजी भूमि
845	0.60	निजी भूमि	589	0.20	निजी भूमि
844/2	0.06	निजी भूमि	588	0.32	निजी भूमि
843/2	0.47	निजी भूमि	537/2	0.52	निजी भूमि
842/1	1.15	निजी भूमि	537/1	0.52	निजी भूमि
842/2	0.09	निजी भूमि	544/2	0.09	निजी भूमि
699/2	1.36	निजी भूमि	544/3	0.09	निजी भूमि
849	0.94	निजी भूमि	544/4	0.09	निजी भूमि
832/1	0.59	निजी भूमि	544/5	0.09	निजी भूमि
832/2	0.35	निजी भूमि	544/6	0.09	निजी भूमि
833/2	0.40	निजी भूमि	374	0.16	निजी भूमि
833/3	0.10	निजी भूमि	590	0.15	निजी भूमि
827/2	0.20	निजी भूमि	592	0.46	निजी भूमि
826/2	0.60	निजी भूमि	593	0.05	निजी भूमि
825	0.84	निजी भूमि	603	1.60	निजी भूमि
824	0.54	निजी भूमि	594	0.10	निजी भूमि
831/1	0.25	निजी भूमि	544/1	0.11	निजी भूमि
853	0.66	निजी भूमि	536/1	0.52	निजी भूमि
854/1	0.50	निजी भूमि	537	0.12	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
538	0.20	निजी भूमि	534	0.18	निजी भूमि
534	0.17	निजी भूमि	518	1.91	निजी भूमि
535	0.11	निजी भूमि	441	0.45	निजी भूमि
586	0.10	निजी भूमि	442	0.69	निजी भूमि
587	0.08	निजी भूमि	443	0.34	निजी भूमि
591/1	0.55	निजी भूमि	444	0.46	निजी भूमि
590	0.15	निजी भूमि	445	0.24	निजी भूमि
591/1	0.54	निजी भूमि	446	0.12	निजी भूमि
583	0.06	निजी भूमि	447	0.10	निजी भूमि
579	0.10	निजी भूमि	448	0.16	निजी भूमि
576	0.07	निजी भूमि	449	0.08	निजी भूमि
581	0.10	निजी भूमि	450	0.16	निजी भूमि
582	0.15	निजी भूमि	451	0.32	निजी भूमि
585	0.06	निजी भूमि	452	0.36	निजी भूमि
578	0.40	निजी भूमि	453/1	0.20	निजी भूमि
577	0.07	निजी भूमि	454	0.59	निजी भूमि
373	1.97	निजी भूमि	453/3	0.40	निजी भूमि
376	0.15	निजी भूमि	483	0.12	निजी भूमि
377	0.16	निजी भूमि	486	0.27	निजी भूमि
301/1	1.40	निजी भूमि	487	0.27	निजी भूमि
599/2	0.12	निजी भूमि	481/2	0.30	निजी भूमि
595	0.24	निजी भूमि	481/3	0.20	निजी भूमि
597	0.10	निजी भूमि	480/2	0.20	निजी भूमि
598	0.09	निजी भूमि	545	0.13	निजी भूमि
599/1	0.13	निजी भूमि	564	0.08	निजी भूमि
603	0.06	निजी भूमि	565	0.06	निजी भूमि
604	0.10	निजी भूमि	566	0.07	निजी भूमि
602/1	0.35	निजी भूमि	567	0.05	निजी भूमि
602/2	0.35	निजी भूमि	568	0.09	निजी भूमि
599/2	0.12	निजी भूमि	569	0.12	निजी भूमि
533	0.12	निजी भूमि	570	0.13	निजी भूमि
522	0.07	निजी भूमि	546	0.03	निजी भूमि
523	0.04	निजी भूमि	547	0.03	निजी भूमि
524	0.05	निजी भूमि	548	0.04	निजी भूमि
525	0.05	निजी भूमि	549	0.02	निजी भूमि
526	0.10	निजी भूमि	550	0.02	निजी भूमि
527	0.28	निजी भूमि	551	0.03	निजी भूमि
528	0.16	निजी भूमि	552	0.06	निजी भूमि
529	0.08	निजी भूमि	553	0.12	निजी भूमि
530	0.07	निजी भूमि	297	0.15	निजी भूमि
531	0.02	निजी भूमि	554	0.05	निजी भूमि
532	0.03	निजी भूमि	555	0.05	निजी भूमि
541	0.14	निजी भूमि	556	0.05	निजी भूमि
540	0.10	निजी भूमि	557	0.05	निजी भूमि
539	0.03	निजी भूमि	558	0.06	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
559	0.04	निजी भूमि	
560	0.03	निजी भूमि	
561	0.04	निजी भूमि	
562	0.05	निजी भूमि	
571	0.01	निजी भूमि	
572	0.06	निजी भूमि	
573	0.04	निजी भूमि	
574	0.18	निजी भूमि	
575	0.17	निजी भूमि	
614	0.30	निजी भूमि	
615	0.18	निजी भूमि	
620	0.14	निजी भूमि	
621	0.13	निजी भूमि	
618/1	0.14	निजी भूमि	
619	0.24	निजी भूमि	
624	0.13	निजी भूमि	
623	0.11	निजी भूमि	
625	0.50	निजी भूमि	
622	0.47	निजी भूमि	
613	1.15	निजी भूमि	
611	1.89	निजी भूमि	
618/2	0.13	निजी भूमि	
618/3	0.13	निजी भूमि	
427/5	0.10	निजी भूमि	
427/1	0.10	निजी भूमि	
427/2	0.13	निजी भूमि	
427/3	0.10	निजी भूमि	
427/4	0.35	निजी भूमि	
434	0.09	निजी भूमि	
453/2	0.21	निजी भूमि	
426	0.16	निजी भूमि	
810/2	0.60	निजी भूमि	
416	0.56	निजी भूमि	
417	0.51	निजी भूमि	
605	0.14	निजी भूमि	
कुल रकबा निजी भूमि . .	102.93		

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—गुनौर
(ग) ग्राम—कोटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.220 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
30/1	0.025	निजी भूमि
30/2	0.025	निजी भूमि
33/1	0.009	निजी भूमि
33/2	0.009	निजी भूमि
29/1	0.037	निजी भूमि
29/2	0.038	निजी भूमि
35/1	0.038	निजी भूमि
35/2	0.039	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	0.220	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.--भितरी मुटमुरू तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, वण्ड लाईन, वेस्टवियर एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—भितरी मुटमुरू तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण, डूब क्षेत्र, एप्रोच एवं स्पिल चैनल, बेस्ट वियर एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

प्र. क्र. 113-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया

जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

	(1)	(2)	(3)		
अनुसूची	424/1	0.180	निजी भूमि		
	424/2	0.110	निजी भूमि		
(1) भूमि का वर्णन—	421/1, 421/2	0.001	निजी भूमि		
(क) जिला—पन्ना	423	0.065	निजी भूमि		
(ख) तहसील—अमानगंज	450	0.005	निजी भूमि		
(ग) ग्राम—रजपुरा	452	0.225	निजी भूमि		
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.579 हेक्टेयर.	454	0.090	निजी भूमि		
	456	0.140	निजी भूमि		
खसरा नम्बर	457	0.235	निजी भूमि		
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	418/1				
(1)	(2)	(3)			
72	0.183	निजी भूमि	} 0.085 निजी भूमि		
71	0.037	निजी भूमि			
76	0.085	निजी भूमि			
77	0.121	निजी भूमि			
82	0.067	निजी भूमि	11	0.020	निजी भूमि
81/1, 81/2	0.086	निजी भूमि	12	0.090	निजी भूमि
			28	0.216	निजी भूमि
			29	0.190	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . . . 0.579	36/2	0.073	निजी भूमि		
	37/1क	0.010	निजी भूमि		
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मिढ़ासन व्यपवर्तन तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.	27	0.010	निजी भूमि		
	43/1क				
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.	43/1ख	0.240	निजी भूमि		
	43/2				
	44/1	0.150	निजी भूमि		
	44/2				
प्र. क्र. 123-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—	46	0.020	निजी भूमि		
	47/1, 47/2	0.160			
	53	0.120	निजी भूमि		
	55/1, 55/2	0.140	निजी भूमि		
	54/1, 54/2	0.030	निजी भूमि		
	कुल रकबा निजी भूमि . . . 2.640				

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अमानगंज

(ग) ग्राम—अधरखुआं

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.640 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
425/1	0.035	निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मिढ़ासन
व्यपवर्तन तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण
कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय
पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 125-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को
यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित
भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894
(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया

जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज
(ग) ग्राम—अमानगंज
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.504 हेक्टेयर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 183-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
283	0.008	निजी भूमि
281	0.130	निजी भूमि
284	0.120	निजी भूमि
280	0.100	निजी भूमि
262/1, 262/2	0.016	निजी भूमि
263/1, 263/2	0.080	निजी भूमि
266	0.016	निजी भूमि
268	0.008	निजी भूमि
267	0.220	निजी भूमि
441/1, 441/2	0.020	निजी भूमि
442/1, 442/2	0.195	निजी भूमि
443	0.030	निजी भूमि
444	0.230	निजी भूमि
905/2 क/1 क/1	0.235	निजी भूमि
905/2 क/4		निजी भूमि
905/2 क/2		निजी भूमि
905/2 क/3		निजी भूमि
1013	0.180	निजी भूमि
1014	0.280	निजी भूमि
1016/1	0.102	निजी भूमि
1016/2	0.050	निजी भूमि
996/1	0.160	निजी भूमि
996/2ख	0.012	निजी भूमि
994	0.060	निजी भूमि
993	0.025	निजी भूमि
990	0.130	निजी भूमि
988	0.085	निजी भूमि
288/1, 288/2	0.012	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि	2.504	

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर
(ग) ग्राम—अतरहाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.42 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
549	0.03	निजी भूमि
1176	0.02	निजी भूमि
1175	0.04	निजी भूमि
1174	0.03	निजी भूमि
1146	0.03	निजी भूमि
1173	0.01	निजी भूमि
1147	0.05	निजी भूमि
1148	0.04	निजी भूमि
1152	0.01	निजी भूमि
1150	0.08	निजी भूमि
1115	0.07	निजी भूमि
1151	0.01	निजी भूमि
1106	0.05	निजी भूमि
1107	0.02	निजी भूमि
1108	0.03	निजी भूमि
1109	0.02	निजी भूमि
1305	0.08	निजी भूमि
1303	0.02	निजी भूमि
1310	0.06	निजी भूमि
1311	0.02	निजी भूमि
1306	0.01	निजी भूमि
1347	0.02	निजी भूमि
1345	0.02	निजी भूमि
1344	0.02	निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मिह्दासन व्यपवर्तन तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(1)	(2)	(3)	(2)
1342	0.01	निजी भूमि	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.— अतरहाई तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य.
1346	0.01	निजी भूमि	
1355	0.01	निजी भूमि	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.
1356	0.06	निजी भूमि	
1358	0.06	निजी भूमि	
1357	0.02	निजी भूमि	
1361	0.02	निजी भूमि	
1374	0.03	निजी भूमि	
1398	0.01	निजी भूमि	
1400	0.02	निजी भूमि	
1399	0.06	निजी भूमि	
1401	0.01	निजी भूमि	
1413	0.01	निजी भूमि	
1402	0.03	निजी भूमि	
1411	0.01	निजी भूमि	
1408	0.02	निजी भूमि	
1409	0.01	निजी भूमि	
1410	0.04	निजी भूमि	
1425	0.01	निजी भूमि	
1424	0.03	निजी भूमि	
1428	0.02	निजी भूमि	
1426	0.04	निजी भूमि	
1429	0.02	निजी भूमि	
1689	0.05	निजी भूमि	
1692	0.01	निजी भूमि	
1690	0.01	निजी भूमि	
1699	0.02	निजी भूमि	
1704	0.01	निजी भूमि	
1700	0.01	निजी भूमि	
1705	0.02	निजी भूमि	
1698	0.03	निजी भूमि	
1710	0.02	निजी भूमि	
1711	0.02	निजी भूमि	
1756	0.02	निजी भूमि	
1755	0.03	निजी भूमि	
1754	0.01	निजी भूमि	
1753	0.01	निजी भूमि	
1750	0.02	निजी भूमि	
1752	0.02	निजी भूमि	
2122	0.07	निजी भूमि	
2123	0.38	निजी भूमि	
2124	0.06	निजी भूमि	
2125	0.25	निजी भूमि	
कुल रकबा निजी भूमि . .	2.42		

अनुसूची			
(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—पन्ना			
(ख) तहसील—शाहनगर			
(ग) ग्राम—रैगुवां			
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.27 हेक्टेयर.			
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	
(1)	(2)	(3)	
643	0.03	निजी भूमि	
700	0.01	निजी भूमि	
701	0.01	निजी भूमि	
703	0.01	निजी भूमि	
1492	0.02	निजी भूमि	
1495	0.02	निजी भूमि	
1496	0.01	निजी भूमि	
702	0.03	निजी भूमि	
1508	0.01	निजी भूमि	
1509	0.02	निजी भूमि	
2269	0.01	निजी भूमि	
2282	0.02	निजी भूमि	
2188	0.01	निजी भूमि	
1499	0.01	निजी भूमि	
1498	0.01	निजी भूमि	
1500	0.01	निजी भूमि	
1501	0.01	निजी भूमि	
1505	0.01	निजी भूमि	
1506	0.02	निजी भूमि	
1511	0.01	निजी भूमि	
1512	0.02	निजी भूमि	
1513	0.02	निजी भूमि	

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2156	0.02	निजी भूमि	1629	0.06	निजी भूमि
2072	0.02	निजी भूमि	1635	0.03	निजी भूमि
2076	0.04	निजी भूमि	2338/1	0.01	निजी भूमि
2077	0.01	निजी भूमि	2346	0.01	निजी भूमि
2079	0.02	निजी भूमि	2345	0.01	निजी भूमि
2078	0.02	निजी भूमि	2344	0.01	निजी भूमि
2080	0.01	निजी भूमि			
2073	0.04	निजी भूमि	कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>1.27</u>	
2025	0.02	निजी भूमि	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—रैगुवां		
2024	0.02	निजी भूमि	तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर कार्य निर्माण हेतु,		
2023	0.03	निजी भूमि	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय,		
2087	0.02	निजी भूमि	पन्ना में किया जा सकता है.		
2070	0.03	निजी भूमि	प्र. क्र. 185-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को		
2081	0.02	निजी भूमि	यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित		
2065	0.01	निजी भूमि	भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन		
2109	0.02	निजी भूमि	के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894		
2110	0.03	निजी भूमि	(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया		
2111	0.01	निजी भूमि	जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—		
2130	0.02	निजी भूमि	अनुसूची		
2128	0.01	निजी भूमि	(1) भूमि का वर्णन—		
2129	0.05	निजी भूमि	(क) जिला—पन्ना		
2138	0.01	निजी भूमि	(ख) तहसील—शाहनगर		
2141	0.01	निजी भूमि	(ग) ग्राम—सलैयाफेरन सिंह		
2139	0.03	निजी भूमि	(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.40 हेक्टेयर.		
2140	0.02	निजी भूमि	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा	भूमि का
2202	0.01	निजी भूमि	(1)	(2)	प्रकार
2203	0.01	निजी भूमि			(3)
2204	0.01	निजी भूमि	976	0.01	निजी भूमि
2270	0.01	निजी भूमि	977	0.04	निजी भूमि
2272	0.02	निजी भूमि	978	0.04	निजी भूमि
2284	0.02	निजी भूमि	979	0.01	निजी भूमि
2285	0.01	निजी भूमि	981	0.04	निजी भूमि
2338/2	0.01	निजी भूमि	983	0.02	निजी भूमि
2337	0.01	निजी भूमि	990	0.02	निजी भूमि
2247	0.02	निजी भूमि	991	0.06	निजी भूमि
2245	0.01	निजी भूमि	1000	0.06	निजी भूमि
2241	0.03	निजी भूमि	1025	0.02	निजी भूमि
2199	0.01	निजी भूमि			
2200	0.01	निजी भूमि			
2201	0.03	निजी भूमि			
1618	0.01	निजी भूमि			
1617	0.01	निजी भूमि			
1616	0.01	निजी भूमि			
1615	0.01	निजी भूमि			
1627	0.01	निजी भूमि			

(1)	(2)	(3)	जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—		
1002	0.02	निजी भूमि	अनुसूची		
1013	0.03	निजी भूमि			
1017	0.01	निजी भूमि	(1) भूमि का वर्णन—		
1018	0.03	निजी भूमि	(क) जिला—पन्ना		
1019	0.02	निजी भूमि	(ख) तहसील—शाहनगर		
1026	0.03	निजी भूमि	(ग) ग्राम—बोरी		
2188	0.01	निजी भूमि	(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.69 हेक्टेयर.		
2273	0.13	निजी भूमि	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
2274	0.04	निजी भूमि	(1)	(2)	(3)
2280	0.06	निजी भूमि	2970	0.03	निजी भूमि
2282	0.03	निजी भूमि	2969	0.02	निजी भूमि
2284	0.02	निजी भूमि	2981	0.03	निजी भूमि
2285	0.02	निजी भूमि	2982	0.02	निजी भूमि
2286	0.05	निजी भूमि	2983	0.02	निजी भूमि
2298	0.03	निजी भूमि	2984	0.02	निजी भूमि
2299	0.04	निजी भूमि	2916	0.02	निजी भूमि
2295	0.04	निजी भूमि	2914	0.03	निजी भूमि
2296	0.01	निजी भूमि	2913	0.02	निजी भूमि
2403	0.03	निजी भूमि	2912	0.01	निजी भूमि
2398	0.04	निजी भूमि	2911	0.03	निजी भूमि
2399	0.05	निजी भूमि	2910	0.05	निजी भूमि
2401	0.01	निजी भूमि	2873	0.06	निजी भूमि
1031	0.03	निजी भूमि	2872	0.08	निजी भूमि
2022	0.04	निजी भूमि	2867	0.05	निजी भूमि
2032	0.02	निजी भूमि	2946	0.12	निजी भूमि
1933	0.01	निजी भूमि	2080	0.03	निजी भूमि
2028	0.02	निजी भूमि	2082	0.04	निजी भूमि
1991	0.01	निजी भूमि	2091	0.02	निजी भूमि
1984	0.05	निजी भूमि	2090	0.02	निजी भूमि
1987	0.06	निजी भूमि	2089	0.02	निजी भूमि
1937	0.06	निजी भूमि	2147	0.07	निजी भूमि
1934	0.03	निजी भूमि	2081/1	0.05	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . . .	1.40		2143/1	0.06	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—सलैयाफेरन सिंह तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.			2146	0.02	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.			2193	0.02	निजी भूमि
प्र. क्र. 186-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया			2196	0.02	निजी भूमि
			2197	0.01	निजी भूमि
			2200	0.02	निजी भूमि
			2206	0.13	निजी भूमि
			2210	0.04	निजी भूमि
			2209	0.02	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2221	0.06	निजी भूमि	1573	0.08	निजी भूमि
2222	0.02	निजी भूमि	1572	0.07	निजी भूमि
2250	0.02	निजी भूमि	1540	0.02	निजी भूमि
2254	0.03	निजी भूमि	1556	0.05	निजी भूमि
2305	0.03	निजी भूमि	1548	0.02	निजी भूमि
2306	0.02	निजी भूमि	1549	0.02	निजी भूमि
2307	0.02	निजी भूमि	1351	0.06	निजी भूमि
2296	0.02	निजी भूमि	1352	0.02	निजी भूमि
2300	0.01	निजी भूमि	1353	0.01	निजी भूमि
2294	0.01	निजी भूमि	1358	0.02	निजी भूमि
2295	0.02	निजी भूमि	1357/1	0.01	निजी भूमि
2281	0.01	निजी भूमि	1315/3	0.01	निजी भूमि
1436	0.02	निजी भूमि	1359	0.02	निजी भूमि
1435	0.03	निजी भूमि	1357/2	0.01	निजी भूमि
1434	0.02	निजी भूमि	1318	0.02	निजी भूमि
1442	0.02	निजी भूमि	1356	0.03	निजी भूमि
1441	0.01	निजी भूमि	1316	0.10	निजी भूमि
1467	0.01	निजी भूमि	1310	0.01	निजी भूमि
1476	0.02	निजी भूमि	1311	0.02	निजी भूमि
1477/2	0.01	निजी भूमि	1307	0.02	निजी भूमि
1472	0.01	निजी भूमि	कुल रकबा निजी भूमि . . .	2.69	
1477/1	0.02	निजी भूमि	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बोरी		
1835	0.01	निजी भूमि	तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु,		
1890	0.02	निजी भूमि	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय,		
1891	0.01	निजी भूमि	पन्ना में किया जा सकता है.		
1889	0.02	निजी भूमि	प्र. क्र. 187-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को		
1887	0.02	निजी भूमि	यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित		
1836	0.02	निजी भूमि	भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन		
1837	0.04	निजी भूमि	के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894		
1847	0.08	निजी भूमि	(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया		
1845	0.01	निजी भूमि	जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—		
1886	0.02	निजी भूमि	अनुसूची		
1846	0.02	निजी भूमि	(1) भूमि का वर्णन—		
1811/2	0.03	निजी भूमि	(क) जिला—पन्ना		
1816	0.02	निजी भूमि	(ख) तहसोल—शाहनगर		
1817	0.02	निजी भूमि	(ग) ग्राम—हरदुआ मेमारी		
1812	0.02	निजी भूमि	(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.73 हेक्टेयर.		
1813	0.02	निजी भूमि	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा	भूमि का
1533	0.01	निजी भूमि	(1)	(2)	(3)
1534	0.02	निजी भूमि	1891	0.02	निजी भूमि
1536	0.02	निजी भूमि	1924	0.04	निजी भूमि
1537	0.01	निजी भूमि			
1535	0.01	निजी भूमि			
1574	0.04	निजी भूमि			

(1)	(2)	(3)	प्र. क्र. 189-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—																																																																																									
1925	0.09	निजी भूमि	अनुसूची (1) भूमि का वर्णन— (क) जिला—पन्ना (ख) तहसील—शाहनगर (ग) ग्राम—देवरा (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.32 हेक्टेयर. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>खसरा नम्बर</th> <th>कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)</th> <th>भूमि का प्रकार</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>81</td><td>0.16</td><td>निजी भूमि</td></tr> <tr><td>82</td><td>0.13</td><td>निजी भूमि</td></tr> <tr><td>108</td><td>0.15</td><td>निजी भूमि</td></tr> <tr><td>109</td><td>0.05</td><td>निजी भूमि</td></tr> <tr><td>143/1</td><td>0.04</td><td>निजी भूमि</td></tr> <tr><td>420</td><td>0.01</td><td>निजी भूमि</td></tr> <tr><td>421</td><td>0.01</td><td>निजी भूमि</td></tr> <tr><td>144</td><td>0.14</td><td>निजी भूमि</td></tr> <tr><td>149</td><td>0.01</td><td>निजी भूमि</td></tr> <tr><td>453</td><td>0.01</td><td>निजी भूमि</td></tr> <tr><td>158</td><td>0.06</td><td>निजी भूमि</td></tr> <tr><td>157</td><td>0.08</td><td>निजी भूमि</td></tr> <tr><td>166</td><td>0.07</td><td>निजी भूमि</td></tr> <tr><td>164</td><td>0.07</td><td>निजी भूमि</td></tr> <tr><td>165</td><td>0.08</td><td>निजी भूमि</td></tr> <tr><td>241</td><td>0.16</td><td>निजी भूमि</td></tr> <tr><td>242</td><td>0.10</td><td>निजी भूमि</td></tr> <tr><td>256</td><td>0.04</td><td>निजी भूमि</td></tr> <tr><td>264</td><td>0.01</td><td>निजी भूमि</td></tr> <tr><td>266</td><td>0.02</td><td>निजी भूमि</td></tr> <tr><td>253</td><td>0.01</td><td>निजी भूमि</td></tr> <tr><td>255</td><td>0.09</td><td>निजी भूमि</td></tr> <tr><td>257</td><td>0.01</td><td>निजी भूमि</td></tr> <tr><td>258</td><td>0.01</td><td>निजी भूमि</td></tr> <tr><td>261</td><td>0.02</td><td>निजी भूमि</td></tr> <tr><td>263</td><td>0.02</td><td>निजी भूमि</td></tr> <tr><td>267</td><td>0.03</td><td>निजी भूमि</td></tr> </tbody> </table>			खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	(1)	(2)	(3)	81	0.16	निजी भूमि	82	0.13	निजी भूमि	108	0.15	निजी भूमि	109	0.05	निजी भूमि	143/1	0.04	निजी भूमि	420	0.01	निजी भूमि	421	0.01	निजी भूमि	144	0.14	निजी भूमि	149	0.01	निजी भूमि	453	0.01	निजी भूमि	158	0.06	निजी भूमि	157	0.08	निजी भूमि	166	0.07	निजी भूमि	164	0.07	निजी भूमि	165	0.08	निजी भूमि	241	0.16	निजी भूमि	242	0.10	निजी भूमि	256	0.04	निजी भूमि	264	0.01	निजी भूमि	266	0.02	निजी भूमि	253	0.01	निजी भूमि	255	0.09	निजी भूमि	257	0.01	निजी भूमि	258	0.01	निजी भूमि	261	0.02	निजी भूमि	263	0.02	निजी भूमि	267	0.03	निजी भूमि
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार																																																																																										
(1)	(2)	(3)																																																																																										
81	0.16	निजी भूमि																																																																																										
82	0.13	निजी भूमि																																																																																										
108	0.15	निजी भूमि																																																																																										
109	0.05	निजी भूमि																																																																																										
143/1	0.04	निजी भूमि																																																																																										
420	0.01	निजी भूमि																																																																																										
421	0.01	निजी भूमि																																																																																										
144	0.14	निजी भूमि																																																																																										
149	0.01	निजी भूमि																																																																																										
453	0.01	निजी भूमि																																																																																										
158	0.06	निजी भूमि																																																																																										
157	0.08	निजी भूमि																																																																																										
166	0.07	निजी भूमि																																																																																										
164	0.07	निजी भूमि																																																																																										
165	0.08	निजी भूमि																																																																																										
241	0.16	निजी भूमि																																																																																										
242	0.10	निजी भूमि																																																																																										
256	0.04	निजी भूमि																																																																																										
264	0.01	निजी भूमि																																																																																										
266	0.02	निजी भूमि																																																																																										
253	0.01	निजी भूमि																																																																																										
255	0.09	निजी भूमि																																																																																										
257	0.01	निजी भूमि																																																																																										
258	0.01	निजी भूमि																																																																																										
261	0.02	निजी भूमि																																																																																										
263	0.02	निजी भूमि																																																																																										
267	0.03	निजी भूमि																																																																																										
1892	0.02	निजी भूमि																																																																																										
1923	0.08	निजी भूमि																																																																																										
1917	0.03	निजी भूमि																																																																																										
1875	0.12	निजी भूमि																																																																																										
1874	0.06	निजी भूमि																																																																																										
1869	0.04	निजी भूमि																																																																																										
1870	0.01	निजी भूमि																																																																																										
1833	0.03	निजी भूमि																																																																																										
1871	0.05	निजी भूमि																																																																																										
888	0.16	निजी भूमि																																																																																										
2592	0.04	निजी भूमि																																																																																										
2593	0.04	निजी भूमि																																																																																										
2594	0.04	निजी भूमि																																																																																										
2589	0.06	निजी भूमि																																																																																										
2585	0.11	निजी भूमि																																																																																										
2584	0.04	निजी भूमि																																																																																										
2586	0.01	निजी भूमि																																																																																										
2583	0.09	निजी भूमि																																																																																										
843	0.12	निजी भूमि																																																																																										
844	0.02	निजी भूमि																																																																																										
855	0.03	निजी भूमि																																																																																										
856	0.04	निजी भूमि																																																																																										
797	0.04	निजी भूमि																																																																																										
796	0.04	निजी भूमि																																																																																										
787	0.06	निजी भूमि																																																																																										
846	0.03	निजी भूमि																																																																																										
854	0.04	निजी भूमि																																																																																										
857	0.01	निजी भूमि																																																																																										
786	0.02	निजी भूमि																																																																																										
800	0.04	निजी भूमि																																																																																										
799	0.01	निजी भूमि																																																																																										
795	0.03	निजी भूमि																																																																																										
798	0.02	निजी भूमि																																																																																										
कुल रकबा निजी भूमि . . .		1.73																																																																																										
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—हरदुआ मेमारी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.																																																																																											
(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.																																																																																											

(1)	(2)	(3)	के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—		
413	0.01	निजी भूमि	अनुसूची (1) भूमि का वर्णन— (क) जिला—पन्ना (ख) तहसील—शाहनगर (ग) ग्राम—शाहपुर खुर्द (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.54 हेक्टेयर.		
414	0.04	निजी भूमि			
415	0.04	निजी भूमि			
307	0.01	निजी भूमि			
319/2	0.03	निजी भूमि			
320	0.03	निजी भूमि			
323	0.16	निजी भूमि			
427	0.02	निजी भूमि			
428/1	0.01	निजी भूमि			
429	0.02	निजी भूमि			
436	0.02	निजी भूमि			
437	0.03	निजी भूमि			
440	0.02	निजी भूमि			
446	0.02	निजी भूमि			
447	0.01	निजी भूमि			
445	0.01	निजी भूमि			
452	0.01	निजी भूमि			
477	0.01	निजी भूमि			
476	0.01	निजी भूमि			
475	0.01	निजी भूमि			
474	0.01	निजी भूमि			
473	0.02	निजी भूमि			
472	0.01	निजी भूमि			
470	0.01	निजी भूमि			
469	0.01	निजी भूमि			
465	0.01	निजी भूमि			
464	0.01	निजी भूमि			
460	0.01	निजी भूमि			
502	0.02	निजी भूमि			
499	0.04	निजी भूमि			
498	0.04	निजी भूमि			
511	0.02	निजी भूमि			
कुल रकबा निजी भूमि . . .	2.32				
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—देवरा नं. 2 तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.					
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.					
प्र. क्र. 191-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन					

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
586	0.01	निजी भूमि	48	0.02	निजी भूमि
602/1	0.03	निजी भूमि	206	0.04	निजी भूमि
611	0.02	निजी भूमि	200	0.07	निजी भूमि
614	0.04	निजी भूमि	306	0.02	निजी भूमि
591/2	0.02	निजी भूमि	307	0.01	निजी भूमि
594	0.02	निजी भूमि	313	0.01	निजी भूमि
326	0.03	निजी भूमि	314	0.02	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	1.54		300	0.02	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.— शाहपुर खुर्द तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.			631	0.01	निजी भूमि
			202	0.02	निजी भूमि
			203	0.04	निजी भूमि
			210	0.14	निजी भूमि
			211	0.07	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.			245	0.04	निजी भूमि
			315	0.02	निजी भूमि
			636	0.02	निजी भूमि
प्र. क्र. 192-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—			637	0.11	निजी भूमि
			638	0.01	निजी भूमि
			204	0.03	निजी भूमि
			224	0.03	निजी भूमि
			232	0.04	निजी भूमि
			233	0.07	निजी भूमि
			262/2	0.04	निजी भूमि
			285	0.09	निजी भूमि
			286	0.05	निजी भूमि
(1) भूमि का वर्णन—			288	0.06	निजी भूमि
(क) जिला—पन्ना			294	0.02	निजी भूमि
(ख) तहसील—शाहनगर			452	0.07	निजी भूमि
(ग) ग्राम—चकरभटा			458	0.04	निजी भूमि
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.49 हेक्टेयर.			439	0.04	निजी भूमि
			446	0.04	निजी भूमि
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा	भूमि का	457	0.04	निजी भूमि
	(हेक्टेयर में)	प्रकार	462	0.02	निजी भूमि
(1)	(2)	(3)	470	0.02	निजी भूमि
40	0.13	निजी भूमि	463	0.02	निजी भूमि
41	0.01	निजी भूमि	472	0.01	निजी भूमि
46	0.03	निजी भूमि	464	0.02	निजी भूमि
299	0.03	निजी भूमि	471	0.01	निजी भूमि
42	0.12	निजी भूमि	569	0.04	निजी भूमि
198	0.01	निजी भूमि	570/1	0.02	निजी भूमि
199	0.11	निजी भूमि	579	0.08	निजी भूमि
240	0.03	निजी भूमि	630	0.03	निजी भूमि
244	0.03	निजी भूमि	639	0.01	निजी भूमि
45	0.03	निजी भूमि	640/2	0.06	निजी भूमि
47	0.01	निजी भूमि	640/3	0.09	निजी भूमि
			640/4	0.15	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
468	0.01	निजी भूमि	1232	0.14	निजी भूमि
205	0.01	निजी भूमि	1234	0.02	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . . .	<u>2.49</u>		1236	0.11	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.— चकरभटा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.			1250	0.01	निजी भूमि
			1251	0.02	निजी भूमि
			1252	0.02	निजी भूमि
			1253	0.03	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.			446	0.02	निजी भूमि
			1258	0.01	निजी भूमि
			1259	0.02	निजी भूमि
प्र. क्र. 194-अ-82-वर्ष 2010-2011.— चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—			1260	0.02	निजी भूमि
			1282	0.01	निजी भूमि
			1286	0.02	निजी भूमि
			1262	0.02	निजी भूमि
			1288	0.02	निजी भूमि
			1299	0.02	निजी भूमि
			1300	0.02	निजी भूमि
			1301	0.02	निजी भूमि
			1289	0.04	निजी भूमि
			1297	0.01	निजी भूमि
			1285	0.05	निजी भूमि
			1370	0.04	निजी भूमि
			1372	0.02	निजी भूमि
			1371/1	0.14	निजी भूमि
			1069	0.06	निजी भूमि
			1074/15	0.06	निजी भूमि
			1070	0.02	निजी भूमि
			1002	0.10	निजी भूमि
			1072	0.02	निजी भूमि
			1055	0.04	निजी भूमि
			1056	0.04	निजी भूमि
			998	0.07	निजी भूमि
			985	0.07	निजी भूमि
			966	0.03	निजी भूमि
			984	0.02	निजी भूमि
			969	0.02	निजी भूमि
			971	0.02	निजी भूमि
			901/4	0.04	निजी भूमि
			1971/1	0.18	निजी भूमि
			901/5	0.05	निजी भूमि
			कुल रकबा निजी भूमि . . .	<u>2.30</u>	
			(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.— टोला तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.		
			(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.		
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार			
(1)	(2)	(3)			
216/1	0.09	निजी भूमि			
224	0.01	निजी भूमि			
225	0.01	निजी भूमि			
226	0.02	निजी भूमि			
248	0.04	निजी भूमि			
1247	0.02	निजी भूमि			
1244	0.03	निजी भूमि			
1245	0.01	निजी भूमि			
256	0.02	निजी भूमि			
257	0.04	निजी भूमि			
259	0.01	निजी भूमि			
275/1	0.03	निजी भूमि			
1226/1	0.02	निजी भूमि			
261	0.08	निजी भूमि			
275/2	0.04	निजी भूमि			
1229	0.06	निजी भूमि			
1254	0.02	निजी भूमि			
1230	0.01	निजी भूमि			
1231	0.05	निजी भूमि			

प्र. क्र. 195-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर
(ग) ग्राम—लमतारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.50 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
142	0.13	निजी भूमि
471	0.05	निजी भूमि
488	0.04	निजी भूमि
490	0.05	निजी भूमि
491	0.04	निजी भूमि
492	0.08	निजी भूमि
493	0.03	निजी भूमि
3418	0.43	निजी भूमि
3416	0.07	निजी भूमि
3397	0.07	निजी भूमि
3417	0.02	निजी भूमि
3433	0.17	निजी भूमि
3435	0.04	निजी भूमि
3440	0.04	निजी भूमि
3442	0.06	निजी भूमि
3443	0.07	निजी भूमि
3444	0.11	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि	1.50	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—लमतारा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 196-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—रैपुरा
(ग) ग्राम—मलघन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.17 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1955	0.03	निजी भूमि
1954	0.02	निजी भूमि
1975	0.02	निजी भूमि
1976	0.06	निजी भूमि
1977	0.01	निजी भूमि
1974	0.03	निजी भूमि
1990	0.02	निजी भूमि
1950	0.02	निजी भूमि
3084/2	0.02	निजी भूमि
3114	0.04	निजी भूमि
3084/3	0.07	निजी भूमि
3084/4	0.07	निजी भूमि
3084/5	0.05	निजी भूमि
3117	0.02	निजी भूमि
3118	0.04	निजी भूमि
3116	0.05	निजी भूमि
3119	0.06	निजी भूमि
3164/6	0.07	निजी भूमि
3164/5	0.05	निजी भूमि
3271	0.03	निजी भूमि
3245	0.01	निजी भूमि
3261/2	0.03	निजी भूमि
3241	0.05	निजी भूमि
3261/1	0.03	निजी भूमि
3262	0.05	निजी भूमि
3264	0.03	निजी भूमि
3236	0.04	निजी भूमि
3237	0.05	निजी भूमि
3242	0.02	निजी भूमि
3338	0.01	निजी भूमि
3336	0.01	निजी भूमि
3350	0.04	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
3352	0.02	निजी भूमि	304	0.002	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि ..	1.17		305	0.100	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मलघन तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.			306	0.002	निजी भूमि
			307	0.001	निजी भूमि
			310/1	0.018	निजी भूमि
			310/1क	0.018	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.			310/2	0.019	निजी भूमि
			311	0.223	निजी भूमि
			312	0.010	निजी भूमि
प्र. क्र. 198-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—			370/1	0.055	निजी भूमि
			370/2	0.055	निजी भूमि
			370/3	0.055	निजी भूमि
			372	0.044	निजी भूमि
			373	0.016	निजी भूमि
			414	0.010	निजी भूमि
			416	0.185	निजी भूमि
			420	0.038	निजी भूमि
			433	0.112	निजी भूमि
(1) भूमि का वर्णन—			434	0.140	निजी भूमि
(क) जिला—पन्ना			435	0.005	निजी भूमि
(ख) तहसील—गुनौर			439	0.002	निजी भूमि
(ग) ग्राम—सलेहा			440	0.008	निजी भूमि
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.532 हेक्टेयर.			441	0.090	निजी भूमि
			442	0.012	निजी भूमि
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा	भूमि का	443	0.130	निजी भूमि
	(हेक्टेयर में)	प्रकार	446	0.124	निजी भूमि
(1)	(2)	(3)	447	0.008	निजी भूमि
46	0.226	निजी भूमि	452	0.03	निजी भूमि
55	0.107	निजी भूमि	454	0.026	निजी भूमि
84	0.014	निजी भूमि	455	0.003	निजी भूमि
201	0.473	निजी भूमि	462	0.003	निजी भूमि
202/1	0.005	निजी भूमि	466	0.006	निजी भूमि
202/2	0.005	निजी भूमि	567	0.145	निजी भूमि
203/1	0.017	निजी भूमि	616	0.004	निजी भूमि
203/2	0.017	निजी भूमि	621	0.135	निजी भूमि
204	0.209	निजी भूमि	622/1	0.003	निजी भूमि
205/1	0.013	निजी भूमि	622/2	0.003	निजी भूमि
205/2	0.013	निजी भूमि	623	0.019	निजी भूमि
213	0.004	निजी भूमि	624	0.114	निजी भूमि
214	0.008	निजी भूमि			
235	0.014	निजी भूमि	कुल रकबा निजी भूमि ..	3.532	
236	0.056	निजी भूमि	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—भितरी मुटमुरू सिंचाई योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.		
239	0.001	निजी भूमि	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.		
261	0.068	निजी भूमि			
262	0.078	निजी भूमि			
265/1	0.064	निजी भूमि			
265/2	0.064	निजी भूमि			
266	0.015	निजी भूमि			
301	0.015	निजी भूमि			
302	0.073	निजी भूमि			

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 2 मार्च 2012

प्र. क्र. 7-ए-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—नटेरन
(ग) ग्राम—रिनिया.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.159 हेक्टेयर.

सर्वे नं. अर्जित किये जाने
वाला अनुमानित
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
112	0.379
113/4	0.364
113/2	0.140
113/3	0.280
113/1	0.051
348	0.138
349	0.156
350/2	0.312
352/1	0.090
353/2	0.090
359	0.330
355	0.062
356	0.090
358/1	0.060
358/2/1	0.060
358/2/2	0.060
357	0.209
381	0.030

(1)	(2)
382	0.132
351/1/1	0.030
351/1/2	0.030
351/2	0.030
347	0.036
योग : 3.159	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—संजय सागर (बाह) मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंज बासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11-ए-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—शमशाबाद
(ग) ग्राम—सतपाड़ा हाट
(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.691 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
31	0.180
36	0.122
39	0.288
215	0.130
216	0.186
224	0.162

(1)	(2)	(1)	(2)
225	0.166	27/2/2	0.090
405	0.028	27/3	0.090
421	0.061	37/1	0.065
436	0.036	37/2	0.049
439	0.075	38/3	0.005
441	0.064	40/1	0.013
453	0.106	40/2	0.186
454	0.108	407/1	0.077
456	0.067	407/2	0.068
457	0.028	407/3	0.215
459	0.083	411/1	0.177
466	0.378	411/2	0.099
467	0.360	411/3/1	0.020
479	0.047	411/3/2	0.148
485	0.063	411/4	0.178
487	0.075	412/1	0.235
491	0.345	412/2	0.045
492	0.230	419/2	0.122
511	0.114	420/1	0.269
512	0.126	420/2	0.087
517	0.138	422/1	0.302
533	0.031	422/2/1	0.205
534	0.285	422/2/2	0.077
537	0.020	433/1	0.300
539	0.190	433/2	0.199
540	0.138	435/2	0.098
584	0.162	437/2	0.142
590	0.043	440/1/1	0.075
591	0.162	440/1/2	0.075
621	0.015	440/2	0.016
203/1	0.251	442/2	0.120
203/2	0.144	455/2	0.072
217/1	0.771	460/1/1	0.250
217/2/1	0.062	460/1/2	0.125
217/2/2	0.068	463/2	0.158
217/2/3	0.073	464/2	0.136
218/1	0.100	465/1	0.005
218/2	0.010	465/2	0.005
220/2	0.158	481/1	0.199
221/1	0.150	481/2	0.199
221/2	0.188	495/2	0.150
221/3	0.036	496/1	0.095
229/1	0.162	496/2	0.065
27/2/1	0.093	497/1/3	0.183

(1)	(2)	(ग) ग्राम—सकराई	(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.673 हेक्टेयर.
497/2	0.063	सर्वे नं.	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
498/1	0.072	(1)	(2)
498/2	0.235	34/2	0.075
498/3	0.125	35	0.110
555/1	0.023	93/1	0.360
580/2	0.053	93/2	0.110
580/3	0.095	94/1	0.261
597/1	0.055	94/2	0.110
597/2	0.060	99/3	0.173
598/1	0.120	99/5	0.163
598/2	0.150	99/8	0.131
603/1/1	0.145	100	0.190
603/1/2	0.100	312	0.289
603/1/3	0.250	318	0.130
605/1	0.150	337/1	0.598
605/2	0.060	337/2 मि.	0.336
605/3	0.060	337/2 मि.	0.150
619/2/1	0.035	353/1	0.110
619/2/2	0.024	353/2	0.085
622/1/1	0.110	353/3	0.080
622/1/2	0.139	353/4	0.097
योग : 14.691		353/5	0.150
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.		354/1	0.075
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंज बासौदा में किया जा सकता है.		354/2	0.080
		355/1 मि.	0.080
		355/3/1	0.040
		355/3/2	0.070
प्र. क्र. 15-ए-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—		375/1 मि.	0.090
		375/1 मि.	0.0672
		375/2	0.120
		374	0.175
		372	0.289
		91/1/1क	0.165
		91/2	0.260
		92	0.030
		98/2	0.344
		311/1	0.020
		311/2	0.060
(1) भूमि का वर्णन—		योग : 5.673	
(क) जिला—विदिशा			
(ख) तहसील—नटेरन			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(1)

(2)

172

0.226

200

0.055

योग : 3.127

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंज बासौदा में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंज बासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 18-ए-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—नटेरन

(ग) ग्राम—जामनपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.127 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
355	0.190
352 मि.	0.0792
352 मि.	0.0792
357	0.277
370/2	0.099
370/1	0.063
204	0.077
202	0.129
201/1	0.0842
201/2	0.129
171	0.278
157	0.082
159/1	0.115
198/2	0.239
198/1	0.174
359/1	0.514
360/1	0.063
197/2	0.174

प्र. क्र. 23-ए-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—नटेरन

(ग) ग्राम—रामपुरकलां

(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.184 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने

वाला अनुमानित

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

14/2

0.279

29/1

0.145

29/2/1

0.145

27

0.040

31/1

0.528

34/1

0.586

35

0.179

36/1

0.010

36/2

0.040

329

0.071

330

0.019

334

0.209

(1)	(2)	(1)	(2)
333	0.191	135	0.144
332/1	0.191	134	0.144
332/2	0.141	133	0.144
324	0.150	218	0.055
302	0.130	246	0.131
303	0.150	244/1	0.054
304/2	0.090	244/2	0.110
312	0.244	236/2	0.201
44/2	0.110	219/1	0.196
41/1	0.249	219/2	0.319
41/3	0.070	341/1	0.184
40	0.219	341/2	0.184
37	0.229	325	0.028
53/2	0.110	342/3	0.196
53/3	0.269		योग : 11.184
66	0.219		
65/1	0.126	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.
113	0.357	(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंज बासौदा में किया जा सकता है.
114/1	0.018		
114/2	0.019		
117/1	0.081		
117/2	0.228		
118/1	0.058		
118/2	0.058		
148/1	0.061		
148/2	0.061		
148/3	0.061		
148/4	0.061		
145	0.176		
136	0.250		
217/1	0.202		
217/2	0.150		
224/1/2 क	0.209		
224/1/2 ख	0.249		
115	0.221		
256	0.020		
255	0.100		
254	0.181		
253	0.156		
265	0.022		
266	0.423		
276/1	0.297		
275	0.035		
276/2	0.201		
			विदिशा, दिनांक 3 मार्च 2012
			प्र. क्र. 5-अ-82-10-11-249.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा (6) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
			अनुसूची
		(1)	भूमि का वर्णन—
		(क)	जिला—विदिशा
		(ख)	तहसील—लटेरी
		(ग)	ग्राम—रूसिया, लक्ष्मीपुर
		(घ)	लगभग क्षेत्रफल—3.110 हेक्टेयर.
		ख. नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
		(1)	(2)
			ग्राम—रूसिया
		293/1	0.178

(1)	(2)	(1)	(2)
299	0.215	124/3	0.091
319/1ग	0.013	126	0.135
300	0.092	130/2	0.084
304	0.063	132/2	0.065
305	0.065	133	0.070
308	0.013	143	0.165
313	0.136	132/3	0.073
314	0.032	125	0.038
315	0.032	132/1	0.056
316	0.032		
317/2	0.032		
317/1	0.064		
322	0.074		
324/3	0.092		
325/3	0.074		
325/2	0.044		
325/1/2	0.062		
325/1/1	0.126		
	योग : 1.439		

योग : 1.671
कुल योग : 3.110

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—रूसिया लघु तालाब की बांयी तट नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सिरोंज के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

विदिशा, दिनांक 9 मार्च 2012

ग्राम—लक्ष्मीपुर

10/1	0.025
10/2	0.065
11/1	0.057
66	0.026
67	0.038
68	0.043
69	0.038
71	0.055
83/2	0.026
84	0.038
85	0.010
86	0.030
87	0.038
89/1	0.126
73	0.126
124/1	0.052
124/2	0.101

प्र. क्र. 6-ए-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—शमशाबाद

(ग) ग्राम—भैरोबाग

(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.963 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने
वाला अनुमानित क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

28/1

1.080

(1)	(2)	(1)	(2)
26/2क	0.738	164/1/2	0.475
26/2ख	1.935	163	0.198
26/3/1	0.836	91	0.206
22/1	0.116	92/4	0.050
22/2	0.100	93/2	0.200
18/2	0.142	96	0.160
18/3	0.200	100/1	0.024
30/1	0.432	98	0.100
31	0.025	102/2/1	0.200
32/1/1	0.166	100/3/1	0.020
32/1/2	0.165	126/2	0.200
32/1/3	0.100	127/3	0.500
32/1/4	0.100	127/4	0.141
64/1	0.100	130/1/1/3	0.100
65/2	0.225	130/1/1/2	0.181
64/2	0.215	129/1	0.100
153/1	0.090	129/2	0.040
65/1	0.072	134/1/1ख	0.210
65/3	0.189	134/1/1ग	0.405
65/4/1क/2	0.198	134/1/2	0.405
65/5	0.345		
92/5	0.126		योग : 14.963
141	0.118	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—संजय सागर (बाह) मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.
142	0.188	(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंज बासौदा में किया जा सकता है.
138/1/1	0.585		
139	0.117		
145/1/1ख	0.200		
145/1/1क	0.180		
145/1/2	0.232		
145/2	0.010		
147	0.225		
149	0.477		
161/2	0.407		
162	0.414		
164/1/1	0.200		

प्र. क्र. 8-ए-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

		(1)	(2)
अनुसूची		156/1	0.031
		134/2	0.144
(1) भूमि का वर्णन—		145	0.081
(क)	जिला—विदिशा	148/3	0.099
(ख)	तहसील—नटेरन	156/2	0.151
(ग)	ग्राम—मूंडरा शेरपुर	136/1/2	0.463
(घ)	लगभग क्षेत्रफल—9.465 हेक्टेयर.	138/1	0.223
सर्वे नं.	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	154/2	0.105
(1)	(2)	138/2	0.173
		150/1	0.234
		167	0.120
		150/2	0.234
5/2/1	0.246	152	0.171
4/1	0.069	166	0.105
4/2	0.063	148/1	0.072
4/3	0.135	46	0.189
39/2 मि.	0.375	144	0.203
44/2/2	0.248	157	0.208
44/1/1	0.128	158/1	0.116
136	0.311	158/2/1	0.116
44/1/2	0.052	169	0.116
51	0.039	170	0.210
52/3	0.324	162/2	0.045
52/2	0.200	307/1	0.418
61/1	0.135	307/2	0.418
61/2	0.135	307/3	0.418
61/3	0.135	298/2	0.266
62/2	0.162		योग : 9.465
85	0.378		
86	0.027		
129	0.463		
132/2	0.090		
133	0.144		
134/1	0.144		
149	0.333		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—संजय सागर (बाह) मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन/शामशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंज बासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 19-ए-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—नटेरन

(ग) ग्राम—पैरवासा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.502 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने
वाला अनुमानित
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

50/1/2

0.062

173

0.025

174

0.105

175

0.025

176

0.090

192

0.140

193

0.015

202

0.040

203

0.105

223

0.150

224/1

0.070

225

0.030

236/1

0.090

433

0.304

437/1/1

0.060

437/1/1

0.130

437/2/3

0.020

438/2

0.210

479/3

0.052

479/4

0.070

(1)

479/5

480/1

482/1

482/2

483/4

486/1

486/2

487/1

416/1

516/1

513

514/2

515/1

518/1

786

788

609/1

609/2

609/3

610/2

611

612

643/1

643/2

644

645

(2)

0.070

0.060

0.150

0.220

0.150

0.052

0.010

0.060

0.130

0.270

0.021

0.150

0.100

0.209

0.032

0.220

0.080

0.350

0.260

0.180

0.120

0.240

0.150

0.140

0.105

0.180

कुल : 5.502

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे/प्लान का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंज बासौदा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 15 फरवरी 2012

क्र. 198-गोपनीय-2012-दो-3-1-2012 (भाग-बी).—न्यायिक अधिकारी जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में पांच दिवसीय प्रशिक्षण “Refresher Course for Civil Judges, Class-II” (2008 Batch) (Fourth Batch), जो दिनांक 12 मार्च 2012 से 16 मार्च 2012 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 12 मार्च 2012 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है।

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़ कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तदनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 12 मार्च 2012 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होंगे.
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पैंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंगे. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होंगे.
4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्न में से प्रत्येक की एक प्रति, प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के, कम-से-कम एक सप्ताह पूर्व, प्रशिक्षण संस्थान को अवश्य प्रेषित करें :—
 - (i) Judgment in Civil case (contested) and
 - (ii) Judgment in Criminal case (contested)
 - (iii) Issues framed by themselves
 - (iv) Charge framed by themselves
 - (v) Accused Statement prepared by themselves.

5. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे जिन विधिक समस्याओं/विषयों पर चर्चा चाहते हों, को प्रशिक्षण केन्द्र के फैक्स नं. 0761-2626945 पर समय रहते अग्रिम प्रेषित करें.
6. टी.ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.
7. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.
8. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक-1 के मुख्य द्वार पर वाहन की व्यवस्था की जावेगी, जो कि प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.
9. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी. इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी.ए. एवं डी.ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.
10. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 17 फरवरी 2012

क्र. 217-गोपनीय-2012-दो-2-1-2012 (भाग-ए).—न्यायिक अधिकारी जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में "One day Consultation on Role of Judiciary on matters related to adoption" जो दिनांक 4 मार्च 2012 को आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 4 मार्च 2012 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है।

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़ कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा।
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 4 मार्च 2012 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होंगे।
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे शालीन प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंगे।
4. टी.ए. एवं डी.ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन देय होंगे।
5. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन/बस स्टैण्ड पर टैम्पो ट्रैक्स / Xylo की व्यवस्था की जावेगी, जो कि प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी। अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें।
6. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी

हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी। यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी। इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी.ए. एवं डी.ए. क्लेम करने के पात्र होंगे।

7. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा।

जबलपुर, दिनांक 29 फरवरी 2012

क्र. B-637.—श्री एस. के.साहा, रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ, जबलपुर की तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति की अवधि दिनांक 1 से 31 मार्च 2012 तक एक माह के लिये इस रजिस्ट्री के आदेश क्र. बी/2906 जबलपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2011 के तारतम्य में बढ़ाई जाती है।

जबलपुर, दिनांक 1 मार्च 2012

क्र. B-664-एक-7-3/2011 भाग-एक.—उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती दिनांक 11 अप्रैल 2012, बुधवार को ऐच्छिक अवकाश घोषित किया जाता है।

उक्त ऐच्छिक अवकाश को इस रजिस्ट्री की अधिसूचना क्रमांक बी/50/एक-7-3/2011 भाग-एक, दिनांक 6 जनवरी 2012 एवं बी/53/एक-7-3/2011 भाग-एक, दिनांक 6 जनवरी 2012 के अनुक्रम में ऐच्छिक अवकाश की सूची में सम्मिलित किया जाता है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक शासकीय सेवक को वर्ष 2012 में घोषित ऐच्छिक अवकाशों में से केवल तीन दिन के अवकाश लेने की पात्रता होगी।

जबलपुर, दिनांक 2 मार्च 2012

क्र. 280-गोपनीय-2012-दो-3-1-2012 (भाग-बी).—प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में "Induction Training Programme" (Final Phase) (2011 Batch), जो दिनांक 26 मार्च 2012 से 20 अप्रैल 2012 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी

प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 26 मार्च 2012 को प्रातःकाल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है।

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़ कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा। समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तदनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें।
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 26 मार्च 2012 को प्रातःकाल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होंगे।
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंगे। महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होंगे।
4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्न में से प्रत्येक की एक प्रति, यदि उनके द्वारा, तृतीय चरण के प्रयोगिक प्रशिक्षण (Third Phase Practical Training) के दौरान, निर्णित/तैयार की गई हो तो प्रशिक्षण में अपने साथ अवश्य लावें :—
 - (i) Judgment in Civil case (preferably, contested); and
 - (ii) Judgment in Criminal case (preferably, contested)
 - (iii) Issues framed by themselves
 - (iv) Charge framed by themselves
 - (v) Accused Statement prepared by themselves.

एवं

न्यायिक अधिकारी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे प्रशिक्षण में उपस्थित होते समय, तृतीय चरण के प्रयोगिक प्रशिक्षण (Third Phase Practical Training) के दौरान तैयार किये गये प्रपत्र तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आयोजित कार्यक्रम, जिनमें उन्होंने भाग लिया है, की जानकारी, अपने साथ अवश्य लावें।

5. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे जिन विधिक समस्याओं/विषयों पर चर्चा चाहते हों, को प्रशिक्षण केन्द्र के फैक्स नं. 0761-2626945 पर समय रहते अग्रिम प्रेषित करें।
6. टी.ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं।
7. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा।
8. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक-1 के मुख्य द्वार पर वाहन की व्यवस्था की जावेगी, जो कि प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी। अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें।
9. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी। यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी। इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी.ए. एवं डी.ए. क्लेम करने के पात्र होंगे।
10. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 15 जनवरी 2012

क्र. 192-गोपनीय-2012-दो-2-1-2012 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को, उनके कार्य के अतिरिक्त, डिण्डौरी जिले के जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत को डिण्डौरी सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे.

जबलपुर, दिनांक 24 फरवरी 2012

क्र. 260-गोपनीय-2012-दो-2-1-2012 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डे, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना का निलंबन उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, आदेश क्रमांक 534/ADJ/163, dated 24 फरवरी 2012 द्वारा खंडित (Revoke) होने के फलस्वरूप उन्हें विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

क्र. 261-गोपनीय-2012-दो-2-1-2012 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री नरेन्द्र कुमार जैन, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, पन्ना का निलंबन उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, आदेश क्रमांक 536/CJ-II/768, dated 24 फरवरी 2012 द्वारा खंडित (Revoke) होने के फलस्वरूप उन्हें विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

क्र. 262-गोपनीय-2012-दो-2-1-2012 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच का निलंबन उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, आदेश क्रमांक 540/CJ-I/175, dated 24 फरवरी 2012

द्वारा खंडित (Revoke) होने के फलस्वरूप उन्हें विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

क्र. 263-गोपनीय-2012-दो-2-1-2012 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री पदम चन्द्र गुप्ता, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल का निलंबन उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, आदेश क्रमांक 538/CJ-II/774, dated 24 फरवरी 2012 द्वारा खंडित (Revoke) होने के फलस्वरूप उन्हें विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

क्र. 264-गोपनीय-2012-दो-2-1-2012 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री सिकन्दर सिंह परमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर का निलंबन उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, आदेश क्रमांक 542/CJ-II/899, dated 24 फरवरी 2012 द्वारा खंडित (Revoke) होने के फलस्वरूप उन्हें विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

No. 534-ADJ/163.—In exercise of powers conferred Under Article 235 of the Constitution of India, the High Court as Disciplinary Authority is pleased to revoke Suspension Order No. C/1164, dated 25th April 2009 of Shri Virendra Kumar Pandey, the then Additional District Judge, Bhopal (presently under suspension with headquarters at Panna) with immediate effect.

The question whether the period of suspension should be treated as period on duty for the purpose of payment of balance salaries/allowances and other benefits, will be decided after the departmental enquiry is over.

No. 536-CJ-II/768.—In exercise of powers conferred Under Article 235 of the Constitution of India, the High Court as Disciplinary Authority is pleased to revoke Suspension Order No. 544, dated 19th May 2010 of Shri N. K. Jain, the then Additional District Judge (FTC), Indore (presently under suspension with headquarters at Panna) with immediate effect.

The question whether the period of suspension should be treated as period on duty for the purpose of payment of balance salaries/allowances and other benefits, will be decided after the departmental enquiry is over.

No. 538-CJ-II/774.—In exercise of powers conferred Under Article 235 of the Constitution of India, the High Court as Disciplinary Authority is pleased to revoke Suspension Order No. 463, dated 17th January 2012 of Shri P. C. Gupta, the then Additional District Judge, Indore (presently under suspension with headquarters at Shahdol) with immediate effect.

The question whether the period of suspension should be treated as period on duty for the purpose of payment of balance salaries/allowances and other benefits, will be decided after the departmental enquiry is over.

No. 540-CJ-I/175.—In exercise of powers conferred Under Article 235 of the Constitution of India, the High Court as Disciplinary Authority is pleased to revoke Suspension Order No. 253, dated 17th February 2011 of Shri Virendra Singh Patidar, the then Additional District Judge, Indore (presently under suspension with headquarters at Neemuch) with immediate effect.

The question whether the period of suspension should be treated as period on duty for the purpose of payment of balance salaries/allowances and other benefits, will be decided after the departmental enquiry is over.

No. 542-CJ-II/899.—In exercise of powers conferred Under Article 235 of the Constitution of India, the High Court as Disciplinary Authority is pleased to revoke

Suspension Order No. 90, dated 3rd May 2011 of Shri Sikandar Singh Parmar, the then Additional District & Sessions Judge, Rehli, District Sagar (presently under suspension with headquarters at Sagar) with immediate effect.

The question whether the period of suspension should be treated as period on duty for the purpose of payment of balance salaries/allowances and other benefits, will be decided after the departmental enquiry is over.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 17 फरवरी 2012

क्र. 223-गोपनीय-2012-दो-3-15-2012.—कुमारी संगीता रावत, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सीहोर का विवाह श्री आशीष पटेल के साथ होने के फलस्वरूप, उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम “कुमारी संगीता रावत” के स्थान पर “श्रीमती संगीता पटेल” पति श्री आशीष पटेल परिवर्तित करने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 8 फरवरी 2012

क्र. 181-गोपनीय-2012-दो-2-10/62.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला न्यायाधीशों (प्रवेश स्तर) उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये गये दिनांक से तथा स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित रिक्त पदों पर चयन ग्रेड (Selection Grade Scale) के वेतनमान रुपये 57700—1230—58930—1380—67210—1540—70290/- में नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक (1)	नाम (2)	चयन ग्रेड वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक (3)	रिक्त पद के संबंध में टिप्पणी (4)
1	श्री रूपेश चन्द्र वाष्णीय	2-1-2012	रिक्त पद पर
2	श्री केशव सिंह तोमर	2-1-2012	रिक्त पद पर
3	श्री लक्ष्मण पवैया	2-1-2012	रिक्त पद पर
4	श्री रमेश कुमार सोनी विधिक सलाहकार, लोकायुक्त संगठन, भोपाल.	23-1-2012	रिक्त पद पर
5	श्री संजीव कुमार सरैया	23-1-2012	श्री रमेश कुमार सोनी, चयन ग्रेड धारक के प्रतिनियुक्ति पर होने से हुए रिक्त पद पर.

जबलपुर, दिनांक 17 फरवरी 2012

क्र. 215-गोपनीय-2012- II-2-33/57(Pt.-11).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्र. 4-1-2002-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 4 मार्च 2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु उक्त विभाग के आदेश फा. क्र. 4-1-2002-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 9 फरवरी 2012 के अन्तर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित सेवानिवृत्त अधिकारियों को स्तम्भ (4) में उल्लेखित कुटुम्ब न्यायालय में, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने [सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट दिनांक तक] अथवा अन्य आदेश जो भी पहले हो, पदस्थ करता है :-

सारणी

क्रमांक (1)	सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी का नाम (2)	62 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि (3)	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (4)
1	श्री मुकेश सिंह, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.	7-12-2013	प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल की हैसियत से.
2	श्री राम कुमार गोस्वामी, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.	30-11-2013	द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल की हैसियत से.
3	श्री गिरीश कुमार शर्मा सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.	31-12-2013	द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर की हैसियत से.
4	श्री जसवंत सिंह क्षत्रिय, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.	3-1-2014	द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर की हैसियत से.

नोट :- उपरोक्त सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय, नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत होगा.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.